पंचम माला, खंड 65, अंक 9, बुधवार, 3 नवम्बर, 1976/12 कार्तिक, 1898 (शक)

Fifth Series, Vol. LXV, No. 9, Wednesday, November 3, 1976/ Kartika 12, 1898 (Saka

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[अठारहवां सत्र
Eighteenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 65 में अंक 1 से 11 तक हैं
Vol. LXV contains Nos. 1 to 11]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य: दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/Contents

अंक 9, बुधवार, 3 नवम्बर, 1976/12 कार्तिक, 1898 (शक)

No. 9, Wednesday, November 3, 1976/Kartika 12, 1898 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	1—4
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	4
सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की दी गई पांचवीं किश्त का वापिस लिया जाना	Withdrawal of fifth instalment of Dearness Allowance granted to Government Employees	4—10
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee	4
श्री सी० सुब्रह्मण्यम्	Shri C. Subramaniam	4—5
श्री मती पार्वती कृष्णन्	Shrimati Parvathi Krishnan . . .	7
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	8
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	8
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri . . .	9
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee . . .	10
231वां तथा 238वां प्रतिवेदन	Two hundred and thirty one and two hundred and thirty eight Reports . .	10
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes .	10
59वां प्रतिवेदन	Fifty ninth Report	10
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति 20वां प्रतिवेदन	Committee on Subordinate legislation Twentieth Report	10
लोक सभा (कालावधि विस्तारण) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित	House of the Poeple (Extension of Duration) Amendment Bill—Introduced . . .	11—13
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) 1976—77 तथा अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1974—75	Supplementary Demands for Grants (Railways) 1976-77 and Demands for Excess Grants (Railways) 1974-75	13—25
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	14

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi . . .	15
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H.N. Mukherjee	15
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee . . .	16
श्री पी० के० देव	Shri P.K. Dev	16
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swarn Singh Sokhi . . .	16
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	16
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad . . .	17
श्री रणबहादुर सिंह	Shri Ranabahadur Singh . . .	18
श्री नवल किशोर सिंह	Shri Nawal Kishore Sinha . . .	18
श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik	18
श्री मल चन्द डागा	Shti M.C. Daga	18
श्री पी० वेंकट्टासुबैया	Shri P. Venkatasubbaiah . . .	18—19
श्रीमती पार्वती कृष्णन	Shrimati Parvathi Krishnan . .	19
श्री आर० पी० यादव	Shri R.P. Yadav	19
श्री बी० के० दासचौधरी	Shri B.K. Daschowdhury . . .	19—20
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra . . .	20
श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली	Shri Paripoornanand Painuli . .	20
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad . . .	20
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	20—21
श्री के० रामाकृष्ण रेड्डी	Shri K. Ramakrishna Reddy . .	21
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar . . .	21
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri . . .	21
श्री नागेश्वर द्विवेदी	Shri Nageshwar Dwivedi . . .	21
श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान	Shri Md. Jamilurrahman . . .	22
श्री आर० आर० शर्मा	Shri R.R. Sharma . .	22
श्री कमला मिश्र 'मधुकर'	Shri K.M. 'Madhukar' . . .	22
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh	22
डा० गोविन्द दास रिछारिया	Dr. Govind Das Richhariya . . .	22
श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित	Shri Jagdish Chandra Dixit . .	22
श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय	Shri Narsingh Narain Pandey . .	22

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
विनियोग (रेल) संख्या 4 विधेयक, 1976	Appropriation (Railways) No. 4 Bill 1976	25
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	26
श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi	25
खंड 2, 3 तथा 1	Clauses 2, 3 and 1	26
पारित करते का प्रस्ताव	Motion to pass	26
श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi	26
विनियोग (रेल) संख्या 5 विधेयक, 1974	Appropriation (Rai [illegible]	[illegible]
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	27
श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi	27
खंड 2, 3 तथा 1	Clauses 2, 3 and 1	27
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	27
श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी	Shri Mohd. Shfi Qureshi	28
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1976–77	Supplementary Demands for Grants (General) 1976-77	28—30
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya	30
श्रीमती मुकुल बनर्जी	Shrimati Mukul Banerjee	31-32
श्री रुद्र प्रताप सिंह	Shri Rudra Pratap Singh	32
श्री सरजू पाण्डे	Shri Sarjoo Pandey	32
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi	33
श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga	33
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa	33
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y.S. Mahajan	34
श्रीमती सुभद्रा जोशी	Shrimati Subhadra Joshi	34
श्री राम हेडाऊ	Shri Ram Hadaoo	34
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	34-35
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	35
प्रो० एस० एल० सक्सेना	Prof. S.L. Saksena	35
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh	35
श्री नवल किशोर सिंह	Shri Nawal Kisbore Sinha	35-36

विषय	SUBJECT	पृष्ठ / PAGES
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryan arayana . . .	36
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandreppen . . .	36–37
श्री पी० वेंकट्टासुब्बैया	Shri P. Venkatasubbaiah . . .	37
श्री नाथू राम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar . . .	37
डा० कैलास	Dr. Kailas	37
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा	Shri Sukhdeo Prasad Verma . .	37
श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik	38
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar . . .	38
श्री चन्द्र भाल मणि तिवारी	Shri Chandra Bhal Mani Tiwari . .	38
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi . . .	38–39
विनियोग (संख्या 7) विधेयक, 1976	Appropriation (No. 7) Bill, 1976 . .	40
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	40
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi . . .	40
खंड 2, 3 तथा 1	Clauses 2, 3 and 1	40
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	40
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi . . .	40
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (गुजरात), 1976–77	Supplemantary Demands for Grants (Gujarat) 1976-77	41
श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder . .	42
श्री इसहाक सम्भली	Shri Ishaque Sambhali . . .	43
श्री डी० डी० देसाई	Shri D.D. Desai	43

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अंकिनीडू श्री मगन्ती (गुडिवाडा)

अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)

अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)

अचल सिंह, श्री (आगरा)

अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)

अंसारी श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)

अप्पालानायडु, श्री (अनकपल्ली)

अम्बेश, श्री (फ़िरोजाबाद)

अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)

अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)

अवधेश, चन्द्र सिंह (फ़रुखाबाद)

अहिरवार, श्री नाथू राम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)

आजाद, श्री भगवत झा (भागलपुर)

आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)

आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसहाक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडला)

उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)

उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडागा)

उरांव, श्री टूना (जलपाईगुडी)

उलगनवी, श्री आर० पी० (वैल्लर

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंगल भारतीय)

एगती, श्री बीरेन (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रूगढ़)

कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरैना)

कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)

कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन (कासरगोड)

कतामुतु, श्री एम० (नागापट्टिनम)

कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)

कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)

कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)

कमला कुमारी, कुमारी (पालामऊ)

कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)

कर्ण सिंह, डा० (ऊधमपुर)

कर्णी सिंह, डा० (बीकानेर)

कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरुचिरापल्ली)

कलिंगारायार, श्री मोहनराज (पोलाची)

कादर, श्री एस० ए० (बम्बई मध्य दक्षिण)

कांबले, श्री एन० एस० (पंढरपुर)

काबले, श्री टी० डी० (लातुर)

काकोडकर, श्री पुरुषोत्तम (पंजिम)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
कावड़े, श्री वी० आर० (नासिक)
काह्नडोल, श्री (मालिगांव)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किरुतिनन, श्री था (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनेहीघाट)
कुरेशी, श्री मोहम्मद शफ़ी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
कैलास, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैंड)
कोवाशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कोया, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन, श्री एम० के० (पोन्नाणि)
कृष्णन, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णन, श्रीमती पार्वती (कोयम्बटूर)
कृष्णप्पा, श्री एस० वी० (हस्कोट)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)
खां, आई० एच० (बारपेट)

ग

गंगादेव श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नानदरबार)
गांधी, श्रीमति इंदिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फ़तेहसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फ़िरोजपुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरोना)
गोखले, श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरूण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोमांगो, श्री गिरधर (कोरापुट)
गोयन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहेन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरि)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बर्दवान)

चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (ऐटा)

चन्द्र गौडा, श्री डी० बी० (चिकमगंलूर)

चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)

चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)

चन्द्र शेखरप्पा वीर बासप्पा, श्री टी० बी० (शिमोगा)

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)

चन्द्रिका प्रसाद, श्री (बलिया)

चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)

चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)

चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)

चिक्कलिंगैया, श्री के० (मांडया)

चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)

चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरुपत्तूर)

चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)

चौधरी, श्री अमर सिंह (मांडवली)

चौधरी, श्री ईश्वर (गया)

चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहमपुर)

चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)

चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)

चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)

छोटे लाल, श्री (बैल)

ज

जगजीवनराम, श्री (सासाराम)

जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)

जनार्दनन, श्री सी० (त्रिचूर)

जमीलुर्रहमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)

जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)

जाफ़र शरीफ़, श्री सी० के० (कनकपुरा)

जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)

जार्ज, श्री बरके (कोट्टायम)

जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहाजहांपुर)

जुल्फ़िकार अली खां, श्री (रामपुर)

जोजफ़, श्री एम० एस० (पीरमाडे)

जोरदार, श्री दिनेश (मालदा)

जोशी श्री जगगन्ननाथ राव (शाजापुर)

जोशी श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)

जोशी श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)

झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)

झारखण्डे राय, श्री (घोसी)

झुनझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चितौड़गढ)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव, (चिमूर)

ठाकरे, श्री एस० वी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)

डोडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लों, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी (नान्देड़)

तुलसीराम, श्री वी (पेद्दापल्लि)

तुलाराम, श्री (घाटमपुर)

तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)

तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)

तिवारी, श्री शंकर (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभान मनी (बलरामपुर)
तेवरी श्रीपी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तैयब हुसेन श्री (गड़गांव)

द

दंडपाणि श्री सी० डी० (धारापुरम)
दत्त श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह श्री (सिरसा)
दलीप सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
दामाणी श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास; श्री अनाधि चरण (जाजपुर)
दास; श्री धरनीधर (मंगलदायी)
दास; श्री रेणुपद (कृष्णनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित; श्री गंगाचरण (खण्डपा)
दीक्षित• श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीबीकन, श्री (कल्लाकरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे; श्री ज्वाला प्रसाद (भण्डारा)
दुराईरासु, श्री ए० पैरम्बूलूर)
देव, श्री एस० एन० सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज राजसिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी, रावएस० (परभणी)
देशपांडे, श्रीमती रोजा (बम्बई मध्य)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मगज सिंह, श्री (शाहाबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धुसिया, श्री अनन्त प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवत (नागपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फूलबनी)
नायक, श्री बी० बी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाडमेर)
निबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह, (गढ़वाल)

प

पण्डा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एस० टी० (भीर)
पजनौर, श्री अरबिन्द बाल (पांडेचेरी)
पटनायक श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली (पुरी)
पटेल, श्री अरबिन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढंढुका)
पटेल, श्री नटवरलाल (मेहसाना)
पटेल, कुमारी मणिबेन (साबरकंठा)
पटेल, श्री नानू भाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभुदास (डाभोई)
पटेल, श्री आर० आर० (दादर तथा नगर हवेली)

पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पालोडकर, श्री माणिकराव (औरंगाबाद)
पासवान, श्री राम भगत (रोसेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिंडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र (खलीललाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायण (गोरखपुर)
पांडे, श्री रामसहाय (राजनन्द गांव)
पांडे, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दौली)
पाओकाई, हाओकित, श्री (बाह्यनीपुर)
पाटिल, श्री अनन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० वी० विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एस० वी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जल-गांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल (सुरेन्द्र नगर)
पार्थसारथी, श्री पी० (राजमपेट)
पिल्ले, श्री आर० बालकृष्ण (मावेलिकरा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूमी)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नागिरि)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)
प्रधान, श्री धनशाह (शाहडोल)
प्रधानी, श्री के० (शौरंगपुर)
प्रबोध चन्द श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली बाबू श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी श्री एस० एम० (कानपुर)
बनर्जी श्रीमती मकुल (नई दिल्ली)
बनेरा श्री हेमेन्द्र सिंह (भीलवाड़ा)
बड़े श्री आर० वी० (खरगोन)
बरूआ, श्री बेदब्रत (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)
बसू, श्री ज्योतिर्मय (डायमण्ड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेठी)
बादल श्री गुरदास सिंह (फाजिलका)
बाबूनाथ सिंह श्री (सरगुजा)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन, श्री के० (अम्बलपुजा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अल्मोड़ा)
वीरेन्द्र सिंह, राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटासिंह, श्री (रोपड़)
बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमका)
ब्रजराज सिंह, कोटा, श्री (झालावाड़)
ब्रह्मानन्दजी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतनलाल (दार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहाबाद)
भट्टाचार्या, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)
भट्टाचार्य, श्री जगदीश (धाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ, भंवर, श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री बशेश्वर नाथ (अजमेर)

भार्गवी, तनकप्पन श्रीमती (अडूर)
भाटिया श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीष्मदेव, श्री एम० (नगरकरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैट्टूर)
भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंड, श्री जगदीश नारायण (गोंडा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
'मधुकर', श्री कमला मिश्र (केसरिया)
मनहर, श्री भगतराम (जंजगीर)
मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगडा)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
माझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी श्री गाजाधर, (सुन्दरगढ़)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड सिंह, श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज)
मायावन, श्री वी० (चिताम्बरम्)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहबाद)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)
मिश्र श्री विभूति (मोतिहारि)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगूसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुतुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रियरंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनन्तम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवैली)
मुरमू, श्री योगेशचन्द (राजमहल)
मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता, डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)
मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)
मोहम्मद यूसूफ श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ़, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ़० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह, (बदायूं)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)

यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधधेपुरा)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबाहदुर, सिंह श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिर्रयिकील)
राउत श्रीभोला (बगहा)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० वी० जी० (विशाखापत्तनम)
राठिया, श्री उम्पेद सिंह (रायगढ़)
राधाकृष्णन, श्री एस (कुडलूर)
रामकंवार श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
राम दयाल, श्री (बिनजौर)
रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)
राम धन, (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
राम सिंह भाई, श्री (इन्दौर)
राम हैडाउ, श्री (रामटेक)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (श्री छप्परा)
राम सूरत प्रसाद श्री (बांसगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप श्री (रार्बट गंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय, श्री एस० के० (सिक्किम)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई ए० (भद्राचलम)
राव, श्री नागेश्वर (मचिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाडा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडे प्रसाद (ओंगोल)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्री काकुलम)
राव, डा० बी० के० आर० वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकीनाडा)
रिछरिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोदन्डा रामी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलवाद)
रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिंहा (चितुर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री पी० बी० (कावली)
रेड्डी, श्री बी० एन० (निरायालगुडा)
रेड्डी, श्री सिदराम (गुलबर्गा)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिलौर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तमकुर)
लक्ष्मीकांतम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)
लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)

लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्री परेम्बदूर)
लम्बोदर बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी, भाई श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लुतफल हक, श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजय पाल सिंह, श्री (मुजफ्फ़रनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ)
विश्वनाथन्, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुदूकोटे)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
ेंकटासुब्बया, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ)

श

शंकर देव, श्री (वीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शंकर दयाल सिंह, (चतरा)
शफ़क़त जंग, श्री (कराना)
शफ़ी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ श्री (सेदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)
शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज खा, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुनझुन)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलोर)
शेर सिंह, प्रो० (झज्जर)
शेलानी, श्री चन्द (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरूचेंडूर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (सिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फतेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महराजगंज)
सतीशचन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवेन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलियाना, श्री (मिजोरम)

सांघी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साठे, श्री वसन्त (अकोला)
सामन्त, श्री एस० सी० (तामलूक)
साभिनाथन, श्री ए० पी० (गोबीचेट्टिपलयम)
साल्वे, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतुल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्री श्याम, श्रीमती (आंवला)
साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (वीरभूम)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरगंज)
सिन्हा, श्री धर्मवीर (बाढ़)
सिन्हा, श्री आर० के० (फैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री नवल किशोर (मुजफ्फरपुर)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फूलपुर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, प्रो० (नालन्दा)
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती वी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दरलाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावेल, श्री (मयूरम)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)
सैकिया, श्री इराजमुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (काजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, डा० रानेन (बारसाट)
सेन, श्री रोबिन (आसनसोल)
सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)
सोखी, सरदार स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजावूर)
सोलंकी, श्री सोम चन्द (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)
सोहन लाल, श्री टी० (करोलबाग)
स्टीफन, श्री सी० एम० (मुवत्तुपुझा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंधर)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोप्पल)
स्वेल, श्री जी० जी० (स्वायत्तशासी जिले)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)
हनुमन्तय्या, श्री के० (बंगलौर)
हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरि सिंह, श्री (खुर्जा)
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुर्य्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द (औसग्राम)
हाशिम, श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)
हुडा, श्री नरूल (कछार)
होरो, श्री एन० ई० (खुन्टी)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री बी० आर० भगत

उपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री भागवत झा आजाद

श्री इसहाक सम्भली

श्री वसन्त साठे

श्री सी० एम० स्टीफन

श्री जी० विश्वनाथन्

श्री पी० पार्थसारथी

महासचिव

श्री श्यामलाल शकधर

भारत सरकार

मन्त्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री और अन्तरिक्ष मंत्री	श्रीमती इन्दिरा गांधी
विदेश मंत्री	श्री यशवन्त राव चव्हाण
कृषि और सिंचाई मंत्री	श्री जगजीवन राम
रेल मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी
रक्षा मंत्री	श्री बंसीलाल
नौवहन और परिवहन मंत्री	डा० जी० एस० ढिल्लों
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
पैट्रोलियम मंत्री	श्री के० डी० मालवीय
उद्योग मंत्री	श्री टी० ए० पाई
निर्माण और आवास तथा संसदीय-कार्य मंत्री	श्री के० रघुरमैया
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
गृह मंत्री	श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी
रसायन और उर्वरक मंत्री	श्री पी० सी० सेठी
संचार मंत्री	डा० शंकर दयाल शर्मा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
वित्त मंत्री	श्री सी० सुब्रह्मण्यम
नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री	श्री सैयद मीर कासिम

मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० एस० नूरूल हसन
ऊर्जा मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त
श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
इस्पात और खान मंत्री	श्री चन्द्रजीत यादव

राज्य मंत्री

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० के० एल० भगत
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री	चौधरी राम सेवक
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शंकर घोष
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री बी० पी० मौर्य
गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री विट्ठल गाडगिल
राजस्व और बैंकिंग विभाग में प्रभारी राज्य मंत्री	श्री प्रणव कुमार मुखर्जी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी
उद्योग पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० पी० शर्मा
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० एम० त्रिवेदी

उप-मंत्री

पैट्रोलियम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री	श्री देवव्रत बरुआ
विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बिपिन पाल दास
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० के० एम० इसहाक
रसायन और उर्वरक मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सी० पी० माझी
गृह मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ० एच० मोहसिन
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
संचार मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री प्रभुदास पटेल
रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री वी० शंकरानन्द
ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुखदेव प्रसाद
वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बूटा सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री दलबीर सिंह
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री केदारनाथ सिंह
वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वेंकटास्वामी
श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बाल गोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

लोक सभा

LOK SABHA

बुधवार, 3 नवम्बर, 1976/12 कार्तिक, 1898 (शक)

Wednesday, November 3, 1976, Kartika 12, 1898 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
MR. SPEAKER *in the Chair*]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

तमिलनाडु सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (क) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु सहकारी समिति अधिनियम, 1961 की धारा 119 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० ओ० एम० 79, जो दिनांक 9 अप्रैल, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाड सहकारी समिति नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(दो) जी० ओ० एम० 648, जो दिनांक 13 अक्तूबर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु सहकारी समिति नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(2) उपर्युक्त अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त 1(एक) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी० 11486/76]

तमिलनाडु कृषिक उत्पाद बाजार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु कृषिक उत्पाद बाजार अधिनियम, 1959 की धारा 29 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) ज्ञापन संख्या 115882।ए एम II/75–6 जो दिनांक 28 अप्रैल, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु कृषिक उत्पाद बाजार नियम, 1962 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(दो) जी० ओ० एम० 760 जो दिनांक 19 मई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) ज्ञापन संख्या 96996 (ए)/ए एम /75–2 जो दिनांक 26 मई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चार) ज्ञापन संख्या 68969/ए एम. I/75–6 जो दिनांक 14 जुलाई, 1976 के तलिमनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) जी० ओ० एम० 1595–ए जो दिनांक 1 सितम्बर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(छः) जी० ओ० एम० 1669 जो दिनांक 8 सितम्बर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु कृषिक उत्पाद बाजार नियम, 1962 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(सात) जी० ओ० एम० 1732 जो दिनांक 22 सितम्बर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु कृषिक उत्पाद बाजार नियम, 1962 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(आठ) जी० ओ० एम० 1780 जो दिनांक 29 सितम्बर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(2) (एक) उपर्युक्त अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण); और

(दो) उपर्युक्त मद (2) (एक) से (चार) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिये सं० एल० टी० 11487/76]

नारियल जटा बोर्ड के वर्ष 1974–75 के प्रमाणित लेखे तथा लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 17 की उपधारा (4) के अन्तर्गत नारियल जटा बोर्ड, एरणाकुलम के वर्ष 1974–75 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(ख) उपर्युक्त दस्तावेज को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 11488/76]

बीमा (दूसरा संशोधन) नियम

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मैं जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 43 की उपधारा (2) के अन्तर्गत बीमा (दूसरा संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 25 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सा० सां० नि० 1373 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 11489/76]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास का वर्ष 1975–76 तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली का वर्ष 1975–76, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर का वर्ष 1975–76 का वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रीय फाउंड्री और फोर्ज प्रौद्योगिकी राँची का वर्ष 1975–76 का वार्षिक प्रतिवेदन, सलारजंग संग्रहालय बोर्ड हैदराबाद का वर्ष 1975–76 का वार्षिक प्रतिवेदन, भारतीय संग्रहालय कलकत्ता का वर्ष 1975–76 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा विक्टोरिया मेमोरियल हाल, न्यासधारी कार्यकारी समिति कलकत्ता के वर्ष 1975–76 का प्रतिवेदन

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 11490/76]

(2) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 11491/76)

(3) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** सं० एल० टी० 11492/76]

(4) राष्ट्रीय फाउन्ड्री और फोर्ज प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची के वर्ष 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** सं० एल० टी० 11493/76]

(5) सालारजंग संग्रहालय बोर्ड, हैदराबाद के वर्ष 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** सं० एल० टी० 11494/76]

(6) भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता के वर्ष 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** सं० एल० टी० 11495/76]

(7) (एक) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1974–75 के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त दस्तावेज का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** सं० एल० टी० 11496/76]

(8) विक्टोरिया मेमोरियल हाल, न्यासधारी कार्यकारी समिति, कलकत्ता के वर्ष 1975–76 के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** सं० एल० टी० 11497/76]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की दी गई पाँचवीं किश्त का वापिस लिया जाना

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं वित्त मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"महंगाई भत्ते की पांचवीं किश्त का वापस लिया जाना, जिस के फलस्वरूप देश भर में केन्द्रीय सरकार तथा सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है"।

वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री० सी० सुब्रह्मण्यम) : तीसरे वेतन आयोग द्वारा सुझाए गए वेतन ढांचे को औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 200 के स्तर (1960-100) के साथ जोड़ा गया था । आयोग ने महंगाई भत्ते की मंजूरी के लिए एक योजना की भी सिफारिश की ताकि जब मूल्य सूचकांक 200 के स्तर से ऊपर चला जाए तो केन्द्रीय सरका ी कर्मचारियों को मूल्यों में हुई वृद्धि के लिए प्रतिपूर्ति की जा सके। यह योजना सरकार द्वारा महंगाई भत्ते की दरों में कुछ सुधार के साथ स्वीकार की गई । इस योजना के अनुसार कर्मचारियों को 200 से ऊपर 12 महीने के औसत सूचकांक में प्रत्येक 8 अंकों की वृद्धि के लिए प्रतिपूर्ति की जानी है ।

2. उपर्युक्त सूत्र के अनुसार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को औसत सूचकांक के स्तर 272 तक मूल्यों में ई वृद्धि को पूरा करने के लिए क्रमश: 1–5–1973, 1–8–1973, 1–10–1973, 1–1–1974, 1–2–1974, 1–4–1974, 1–6–1974, 1–7–1974 और 1–9–1974 से महंगाई भत्ते की 9 किश्तों की मंजूरी दी गई। वेतन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि जब मूल्यों का स्तर 12 महीने के औसत 272 (1960-100) से ऊपर चला जाए तो सरकार को इस स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए और यह निर्णय करना चाहिए कि क्या महंगाई भत्ते की योजना को आगे बढ़ाया जाना चाहिए या स्वयं वेतनमानों को ही संशोधित कर दिया जाना चाहिए। इसके अनुसार, मूल्य सूचकांक के 272 को पार करने के पश्चात् सरकार ने राष्ट्रीय परिषद् (संयुक्त परामर्श-दाता तन्त्र) के कर्मचा ी पक्ष के साथ इस प्रश्न पर विचार-विमर्श किया कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मामले में मूल्य सूचकांक में किसी और अधिक वृद्धि के लिए कैसे प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए। कर्मचा ी पक्ष के साथ दीर्घकालिक विचार-विमर्श के पश्चात् केन ीय सरकारी कर्मचारियों को तीसरे वेतन आयोग ारा सुझायी गई दरों पर क्रमश: 1–10–1974, 1–11–1974, 1–12–1974, 1–2–1975 और 1–3–1975 से महंगाई भत्ते की पांच अतिरिक्त किश्तों को मंजूर करने का निर्णय किया गया। इसके अंतर्गत 12 महीने के औसत सूचकांक स्तर 312 तक के कीमतों में हुई वृद्धि आ गई थी ।

3. अप्रैल, 1975 में 12 महीने का सूचकांक स्तर 320 अंकों को पार कर गया और 5 किश्तों के लिए कर्मचारी पक्ष के साथ विचार-विमर्श के दौरान कर्मचारियों की ओर से यह तर्क दिया गया कि छठी अतिरिक्त किश्त 1–5–1976 से अदा की जानी चाहिए। किन्तु वित्तीय दबावों और राज्य सरकारों पर प्रभाव के कारण जो केन्द्रीय सरकार की उदारता के बारे में शिकायत कर रही थी, केन्द्रीय सरकार ने महंगाई भत्ते की छ ी किश्त की मंजूरी देना सम्भव नहीं पाया। इतने ही में जनवरी, 1976 के अन्त में 12 महीने का सूचकांक औसत गिर कर 320 से नीचे चला गया और तदनुसार महंगाई भत्ते की छठी किश्त 1–2–1976 से देय नहीं रही। किन्तु जब महंगाई भत्ते की छठी किश्त की अदायगी के लिए संसद् में लगातार मांग की गई तो सदनों को सूचित किया गया कि छठी किश्त की अदायगी के प्रश्न पर मूल्य प्रवृत्ति में निरन्तर गिरावट के ंदर्भ में विचार किया जाएगा और यह कि इस मामले में अंतिम निर्णय लेने से पहले कर्मचारी पक्ष के साथ परामर्श किया जाएगा ।

4. किन्तु 12 महीने का सूचांक औसत गिर कर अप्रैल, 1976 में 312 और जून, 1976 में 304 अंकों अर्थात् उन स्तरों से नीचे चला गया जिन पर ये किश्तें स्वीकार हुई थी। परिणामतः महंगाई भत्ते की एक किश्त जो पहले ही स्वीकृत की जा चुकी थी (पांचवीं अतिरिक्त किश्त) 1–5–1976 से और दूसरी किश्त (चौथी अतिरिक्त किश्त) 1–7–1976 से वापस लिए जाने योग्य हो गयी। तथापि, संयुक्त, परामर्शदाता तन्त्र के कर्मचारी पक्ष के साथ मामले पर विचार विमर्श करने के पश्चात् सरकार ने अक्तूबर, 1976 में यह निर्णय किया कि अतिरिक्त मंगाई भत्ते की छठी किश्त अदा करने की आवश्यकता नहीं है और इसे तथा दूसरी संगत बातों को ध्यान में रखते हुए महंगाई भत्ते की केवल एक ी किश्त अर्थात् पांचवीं किश्त को 1–7–1976 से वापस लेने की आवश्यकता है। बाद में कर्मचारियों के संघों, संसद् सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों से ाप्त हुए अनेक अभ्यावेदनों के कारण महंगाई भत्ते की जो अतिरिक्त अदायगी 1–7–1976 से 30–9–1976 तक कर दी गयी थी उसकी वसूली को माफ करने का निर्णय किया गया ताकि कर्मचारियों को कम से कम परेशानी हो।

5. पांचवीं किश्त की वापसी, जो 1–5–1976 से की जानी चाहिए थी, वास्तव में 1–10–1976 से की गयी। इसके अलावा महंगाई भत्ते की चौथी किश्त की वापसी, जो 1–7–1976 से कर दी जानी चाहिए थी, अभी तक भी नहीं की गई है। इस प्रकार यह देखने में आयेगा कि सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते के मामले में नितान्त शीलता दिखाई है।

श्री एस० एम० बनर्जी : सितम्बर, 1976 में वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कर्मचारियों के नेताओं के साथ हुई एक बैठक में मंत्री महोदय ने बताया था कि मूल्य सूचकांक के 272 तक पहुंचने पर सरकार यह निर्णय लेगी कि महंगाई भत्ते को जारी रखा जाये अथवा वेतन ढांचे का ही पुनरीक्षण कर दिया जाये। मंत्री महोदय ने यह भी कहा था कि मूल्य सूचकांक के 320 पर पहुंचने पर कर्मचारी दूसरी किश्त के हकदार होंगे। जब छटी किश्त देय हुई तो सरकार ने निर्णय लिया कि इसे दने की आवश्यकता नहीं है। हम यह कभी नहीं सोचते थे कि छठी किश्त दिये जाने के बजाय सरकार उल्टे पांचवीं किश्त को वापस ले लेगी।

पांचवी किश्त वापस ली जायेगी, हम इसकी कभी भी आशा नहीं रखते थे।

इतना ही नहीं महंगाई भत्ते की दरें भी घटा कर $3\frac{1}{2}\%$ तथा $2\frac{1}{2}\%$ की गयी है। ऐसा होने पर भी कर्मचारियों ने विरोध नहीं किया।

मूल्य सूचकांक के 304 पहुंचने पर ही यह किश्त वापस ली गयी। मेरे विचार में तो चौथी किश्त भी वापस ली जायेगी। आप आपातकालीन स्थिति का लाभ उठा सकते हैं। इस समय हम भी सरकार से लड़ायी नहीं करना चाहते। कर्मचारी महंगायी भत्ता उतना नहीं चाहते जितना कि वेतन ढांचे का पुनरीक्षण चाहते हैं।

पांचवें किश्त का वापस लिया जाना गलत तथा गैर-कानूनी है। इस मामले को मध्यस्थ को सौंपा जाय। सरकार ने स्थायी समिति जिसका एक सदस्य मैं भी हूं की बैठक बुलाये बिना ही यह निर्णय लिया।

क्या सरकार पुराने फार्मूले को लागू करेगी और हमें 1 जनवरी, 1975 से हमारा हक देंगी ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : माननीय सदस्य ने कर्मचारियों के असंतोष की बात की है। इसमें कोई संदेह नहीं कि छठी किश्त का प्रश्न पैदा हुआ था क्योंकि मूल्य सूचकांक 320 से ऊपर पहुंच चुका था। लेकिन इस पर भी विचार किया गया। छठी किस्त उस समय देय हुई थी जब मूल्य गिर रहे थे। हमने इस बारे में निर्णय नहीं लिया क्योंकि राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने की मांग कर रही थीं। सौभाग्य से 320 का मूल्य सूचकांक कुछ समय के लिए ही रहा। उसके बाद यह कम होने लगा।

दिसम्बर, 1975 में 12 मास की औसत 320.92 थी। जनवरी 1976 में यह कम होकर 318.58 हो गई ; फरवरी, 1976 में 3.15.67, मार्च, में 312.75, अप्रैल में 309.92, मई में 306.83, जून, में 303.76 जुलाई में 301.50 और अगस्त में 229.50 हो गई थी। इस सन्दर्भ में हमने 1–7–1976 से एक किस्त वापस लेन का निर्णय किया। 1–7–76 से 30–9–76 तक 3 महीने का बकाया भत्ता कर्मचारियों से वसूल किया जाना था परन्तु हमने 1–7–76 से ही एक किस्त वापस लेने का निर्णय किया। यह कर्मचारियों के हित में है और कर्मचारी इससे सन्तुष्ट हैं। यह कहना गलत है कि हम कर्मचारियों के प्रति उदारता का रुख नहीं अपना रहे हैं। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि कर्मचारियों के प्रति उदारतापूर्ण रवैया अपनाया जायेगा।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : सभी वर्गों के कर्मचारियों का यह विचार है कि उपभोक्ता मल्यसचकांक में कुछ गड़बड़ है। जून से सितम्बर, तक बताये गए आंकड़े भ्रांतिपूर्ण हैं। वास्तविकता कुछ और है। सभी जगह अभाव और फुटकर मूल्यों में वृद्धि से लोग परेशान हैं। मंत्री महोदय को बताना चाहिए था कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हूं कि स राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में क्या किया जायेगा और क्या मंहगाई भत्ते के प्रश्न को न्यायाधिकरण के पास भेजे जाने पर विचार किया जायेगा जिसके बारे में कुछ समय पूर्व निर्णय लिया गया था। एक ओर सरकार का यह कहना है कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने से बाजार में पैसा बढ़ जायेगा और दूसरी ओर बोनस शेयर दिए जा रहे हैं। क्या इससे पैसा बाजार में नहीं जायेगा ? सरकार को सारी स्थिति पर विचार करना होगा। क्या मंत्री महोदय हमें आश्वासन देंगे कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के समूचे प्रश्न पर पूरी तरह छानबीन करने के लिए संसद् सदस्यों की एक समिति गठित की जायेगी।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मंहगाई भत्ते की सभी किस्तें इसी आधार पर दी गई थीं। उस समय किसी ने शिकायत नहीं की थी। अतः यह कहना गलत है कि मूल्य सूचकांक में कुछ गड़बड़ है।

जिस ढंग से यह सूचकांक निकाला जाता है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। इसमें सुधार किया जाना चाहिए। श्रम मंत्रालय कोई उचित फार्मूला तैयार कर रहा है। न्यायाधिकरण को यह प्रश्न सौंपे जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मैं नहीं चाहता कि हमारे विवाद कोई तीसरी पार्टी हल करे।

डा० रानेन सेन (बारसात) : इस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में काफी गड़बड़ है । पीछे भी यह प्रश्न उठाया गया था । उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के समूचे प्रश्न पर विचार करने के बावजूद भी क्या सरकार ने दो बातों पर विचार किया है अर्थात् वेतन आयोग द्वारा जो सुझाव दिया गया है उस पर और मूल्य सूचकांक के 272 पर पहुंचने पर वेतन में पुनरीक्षण किया जायेगा ? क्या सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी ताकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकालने सम्बन्धी सभी विवाद कुछ हद तक दूर हो सकें ।

सरकार ने यह दावा किया है कि आर्थिक स्थिति इस अवस्था में है कि उसे अधिक बुरा नहीं कहा जा सकता और उपभोक्ता वस्तुओं का बाहुल्य है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए सस्ते मूल्य की दुकानें स्थापित करेगी ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : जहां तक माननीय सदस्य की पहली बात का सम्बन्ध है वेतन का पुनरीक्षण करना सम्भव नहीं है क्योंकि इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा । ऐसे अवसर पर जबकि हम अर्थ-व्यवस्था को स्थिर बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं मजदूरी का पुनःरीक्षण करना एक भूल होगी और फिर मैं समझता हूं कि इसके लिए उचित समय भी नहीं आया है । अर्थ-व्यवस्था में स्थायित्व आने पर यह किया जा सकता है ।

मूल्यों को स्थिर करना सरकार की नीति है । सभी आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में हम कदम उठा रहे हैं । इन वस्तुओं की मांग और सप्लाई को विनियमित किया जा रहा है तथा संतुलन बनाए रखने का प्रयत्न किया जा रहा है । विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति अब कुछ संतोषजनक है और अब हम इन वस्तुओं का निर्यात भी कर सकते हैं तथा उपभोक्ता वस्तुओं के सम्बन्ध में स्थायित्व लाने का प्रयत्न कर रहे हैं । आशा है इसमें हमें सफलता मिलेगी

श्री इन्द्रजीत गुप्त : (अलीपुर) : मेरे मित्र डा० रानेन सेन का मेरे विचार से यह कहना नहीं है कि देश में केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी ही रहते हैं । वरन् उन्होंने ऐसा इस लिए कहा कि सरकार मंहगाई भत्ता उन्हें ही देती है ।

कर्मचारियों का वेतन घटा है । जब उन्हें मंहगाई भत्ता दिया गया उसका आधा रोक लिया गया । इससे उनकी क्रय शक्ति कम हुई । सरकार ने इस तरह कई बार किया है और कर्मचारी उसमें सहयोग देते रहे है । इस अनिवार्य बचत योजना को एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है । फिर उन्हें वह रुपया नकद नहीं दिया जाएगा । वरन् भविष्य निधि में जोड़ दिया जाएगा । केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने अब तक पूरा सहयोग दिया है । परन्तु अन्य मुद्रा प्रसार सम्बन्धी प्रतिबन्धों का क्या हुआ ? लाभांश पर लगा प्रतिबन्ध हटा दिया गया है । बोनस अंश पर लगा प्रतिबन्ध भी हटा दिया गया है ।

समाचारपत्रों के समाचार के अनुसार हाल ही में बैंकों द्वारा व्यापारिक संस्थानों को ऋण देने में अत्यधिक वृद्धि हुई है । इसका अर्थ हुआ कि धन का एक बड़ा भाग इन लोगों के हाथ में चला गया है और यह रिजर्व बैंक की सहमति के बिना नहीं हुआ होगा । मतलब यह है कि मुद्रास्फीति का प्रश्न कर्मचारियों के वेतन के समय ही उठता है अन्यथा नहीं । यदि आप मुद्रा की सप्लाई को रोकना चाहते हैं तो उसे प्रत्येक स्तर पर रोकें, केवल कर्मचारियों को ही क्यों सताया जाए ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं कर्मचारियों द्वारा मिले अत्यधिक सहयोग की सराहना करता हूं। कुछ लोगों ने इस स्थिति का राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयत्न किया है। माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि इस सम्बन्ध में वे अपना सहयोग हमें देंगे।

रोके गये मंगाई भत्ते पर हम अच्छा ब्याज देते हैं जो 12 प्रतिशत है। फ़िर हमें सब खर्च ही नहीं करना चाहिए कुछ बचाने की आदत भी डालनी चाहिए। इसी लिए मेरा पिछला बजट बचत प्रधान था न कि कर प्रधान। बचत कर्मचारी के हित में ही है और इस लिए इसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

यह भी कहा गया है कि कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देना सरकार का उत्तरदायित्व है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। परन्तु हम सबका जनता के प्रति एक संयुक्त दायित्व है। हमें मामले पर समग्र रूप से विचार करना होगा। इसी बात पर प्रधान मंत्री बल देती रही हैं। हम वर्गीय दृष्टिकोण न अपना कर राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनायें।

बैंक ऋणों के सम्बन्ध में कही गई बात सही है और हम इस सम्बन्ध में चिन्तित हैं। हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि इसके लिए कौन उत्तरदायी है।

बोनस के अंश के प्रश्न को समझा नहीं गया है। लाभांश के भुगतान पर लगी रोक को हमने नए निवेश की दृष्टि से हटाया है। हो सकता है यह हमारी गलती है। लाभांश पर से प्रतिबन्ध हटा देने पर बोनस शेयर का कोई अर्थ नहीं रह जाता। क्योंकि वे लाभ में से ही बोनस शेयर देते हैं। बोनस शेयर से लाभ नहीं आयेगा। उन्हें मिलता है उस पर कर लगता है। जब लाभांश के रूप में दिया जाता है तो उस पर आय कर लगता है। यदि अभी भी कुछ कमी रह गई है तो आने वाले अगले बजट में हम इन्हें भी दूर करने का प्रयास करेंगे।

Shri Ramavtar Shashtri (Patna) : It has been said that Consumer Price Index has fallen and therefore, Government is with drawing the 5th instalment of D.A. But so for as I know the prices have increased. I think government is only acting on Simla Bureau index number. I doubt the correctness of the figures of Simla Bureau. I am ready to offer my services to ascertain the correct figures.

Shri Bihbuti Mishra (Motihari): The price of the produce of the farmer has fallen. Proper attention has not been paid towards that.

Shri Ramavtar Shashtri : I agree that they should get remunerative prices, but now this is not the question. You have been sitting on the throne for the last 20 years, what you have done ?

I request the hon. Minister to settle the matter with the employees.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : माननीय सदस्य ने कहा है कि पिछले 2 सप्ताह से खाद्यान्नों के मूल्य बढ़े हैं। लेकिन कौनसे महीने में ?

श्री रामावतार शास्त्री : जुलाई में।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : खरीफ़ का मौसम आरम्भ हो गया है और मूल्य गिरने लगे हैं। किसान को अपने उत्पादन का उचित मूल्य मिलना ही चाहिए। जहां तक खाद्यान्नों का सम्बन्ध है राशन में अनाज की मात्रा बढ़ा दी गई है। अतः खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह ठीक है कि खाद्य तेलों में कुछ गड़बड़ है। और हम इसे ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। मूंगफली अब देश के अधिकांश भागों में मिलने लगी है, और तेलों के मूल्य स्थिर हो गये

हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ये मूल्य वर्ष भर स्थिर रहें। इसके लिए हम स्वदेशी माध्यमों से वसूली कर तथा आयात कर रक्षित भण्डार बनाने की योजना तैयार कर रहे हैं। जिससे कि मूल्य वृद्धि की आशंका होने पर हम बाजार में माल भेज सकें।

जहां तक चीनी के मूल्य का सम्बन्ध है, अब इस पर नियंत्रण कर लिया गया है। उत्पाद शुल्क में भी कमी कर दी गई है ताकि चीनी मिलें मूल्य में वृद्धि न करें। अतः यह कहना कि सरकार इस स्थिति के प्रति जागरूक नहीं है गलत है। सरकार विभिन्न प्रकार की कार्यवाही कर रही है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि हम मूल्य स्थिति पर नियंत्रण रखेंगे। और इस सम्बन्ध में प्राप्त सफलता को बनाये रखेंगे। इस बारे में हमें श्रमिकों का बहुत सहयोग मिला है। आशा है माननीय सदस्यगण भी हमें अपना सहयोग देंगे।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

231 वाँ तथा 238 वाँ प्रतिवेदन

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (कलकत्ता-दक्षिण) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं:—

(1) तेल के अधिग्रहण के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1972-73 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (रक्षा सेवायें) के पैराग्राफ 11 पर 231वां प्रतिवेदन।

(2) राजस्व और बैंककारी विभाग के सम्बन्ध में 'सम्पदा शुल्क' पर समिति के 211 प्रतिवेदन में दी गई सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 238वां प्रतिवेदन।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

Committee on the welfare of Schedued Castes and Schedued tribes.

59 वाँ प्रतिवेदन

श्री निहार लास्कर (करीमगंज) : मैं मंत्रालय—इर्विन अस्पताल और परिवार नियोजन विभाग तथा स्वास्थ्य सेवा में, दिल्ली प्रशासन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति का 59वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

Committee on Subordinate Legisjation

20 वाँ प्रतिवेदन

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे (सांगली) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 20वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

लोक सभा (कालावधि विस्तारण) संशोधन विधेयक

HOUSE OF THE PEOPLE (EXTENSION OF DURATION) AMENDMENT BILL

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वर्तमान लोक सभा की कालावधि और बढाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने का घोर विरोध करता हूं। संसदीय लोक तंत्र के कार्य करने की विधि यह है कि शासक दल के सदस्य तथा अन्य सदस्य एक सीमित अवधि के पश्चात् जनता के पास जा कर अपने पिछले कृत्यों तथा भावी कार्यक्रमों के प्रति उनका मत प्राप्त करें। जनता की सहमति के बिना जनता की इच्छाओं को पूरा किए बिना यदि हम स्वतः ही लोक सभा की अवधि बढाते रहे तो यह उस संविधान का उल्लंघन ही है जिसके अधीन इस संसद का गठन हुआ है। संसद के सदस्यों की सदस्यता को स्थाई बनाने के लिए यह संसद सर्वोच्च नहीं है। इस विधेयक को पास करने का अर्थ होगा संसद की अवधि अनिश्चित काल तक कितनी ही बार बढाई जा सकती है।

इस पर दो प्रतिबन्ध हैं। जनता की लोकप्रिय इच्छा और न्यायपालिका का निर्णय। लेकिन वर्तमान आपातस्थिति के उपबन्धों से न्यायालयों का अधिकार छीन लिया गया है। यह नकारात्मक विधेयक है।

जहां तक इस विधेयक की संवैधानिकता का सम्बन्ध है यह नितान्त दोषपूर्ण है और संविधान के उपबन्धों के अनुरूप नहीं है। आपात स्थिति में संसद का कार्यकाल बढाने की व्यवस्था है। लेकिन उक्त अवधि एक सयम में एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसा फरवरी, 1976 के मूल विधेयक में किया गया था। जिसके अन्तर्गत एक वर्ष का समय बढाया गया था। अब सरकार क्या कर रही है? सरकार अब दूसरा विधेयक नहीं ला रही है। अपितु पहले वाले अधिनियम में संशोधन करके एक वर्ष की अवधि को बढा कर दो वर्ष की जा रही है। यह संविधान के स्पष्ट उपबन्धों के विरुद्ध है। सरकार नया विधेयक नहीं ला सकती थी लेकिन पहले के अधिनियम में अवधि बढा भी नहीं सकती। इस प्रकार जिस तरह से वे इसे करने का यत्न कर रहे हैं, वह अनुचित तथा अनैतिक ही नहीं बल्कि गैर-कानूनी भी है। विधेयक के कारणों तथा उद्देश्यों सम्बन्धी विवरण में कहा गया है "वर्तमान लोक सभा की कालावधि लोक सभा (कालावधि विस्तारण) अधिनियम, 1976 द्वारा एक वर्ष के लिए बढाई गई थी। यह अवधि 18 मार्च, 1977 को समाप्त हो जायेगी।" मेरी समझ में नहीं आता कि उन्होंने यह तिथि कहां से ली क्यों कि यह सही नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 83(2) में निहित है "इसकी पहली बैठक की नियत तिथि से पांच वर्ष" पहली बैठक की तिथि शब्द लेने के दिन से नहीं अपितु यह तिथि जिस दिन से संसद के दोनों सदनों की बैठक में राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया उस दिन से मानी जानी चाहिए। 1971 में सदस्यों ने पहले बार 19 मार्च को बैठक में भाग लिया। लेकिन तिथि निर्धारण के सम्बन्ध में हमें अनुच्छेद 87(1) को देखना होगा जिसमें यह उल्लिखित है कि "लोक सभा के

[श्री सेझियान]

लिए प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरम्भ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में एवं समवेत संसद को दोनों सदनों को राष्ट्रपति सम्बोधित करेगा तथा संसद को उसके आव्हान का कारण बतायेगा। इसलिये संसद वास्तव में तभी आरभं हुई मानी जाती है जब राष्ट्रपति इसे सम्बोधित करता न कि उस दिन से जब कि सदस्य शपथ लेते हैं।

अतः मेरा यह आग्रह है कि इस प्रकार के कानून को लाते समय सरकार को जलदबाजी नहीं करनी चाहिए। अपरिमार्जित तथा गलत कानूनों के पुरःस्थापित करने से इतिहास का बहुत गलत ढंक से निर्माण हो रहा है। यह संसद द्वारा पारित करने के लिए अत्यन्त अपरिमार्जित विधेयक है। इन असाधारण शक्तियों का अच्छे कार्यों के लिए और शुभ अवसरों पर उपयोग किया जाना चाहिए।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : मैं इस विधेयक का इसलिए विरोध करता हूं क्योंकि मेरी शंका सच उतरी है। चर्चा है कि इस लोक सभा की अवधि एक वर्ष और बढायी जायेगी। यह विधेयक लोक तंत्र के सिद्धान्तों के विरुद्ध है। बदलती हुई परिस्थिति में जनता की इच्छा और उनका आदेश जानना अनिवार्य है। लोक तंत्र का अर्थ है देश की सरकार और मौलिक नीतियों पर निर्णय लेने के लिए जनता ही सर्वोच्च मानी जानी चाहिए। यह लोकतंत्रीय सिद्धान्तों का एवं जनता के प्रभुसत्ता के अधिकार की अवहेलना है। इस विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों में कहा गया है कि दोनों आपात उद्घोषणाओं के जारी करने तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जिन परिस्थितियों के वशीभूत वर्तमान लोक सभा की कालावधि एक वर्ष के लिए बढाई गई थी वे अब भी विद्यमान है। वर्तमान कालावधि की समाप्ति के पूर्व लोक सभा का सामान्य निर्वाचन कराना देश के व्यापक हित में नहीं होगा। यहां यह भी सर्वथा स्पष्ट है कि सरकार आपात स्थिति समाप्त करने को तैयार नहीं है और इसे स्थाई बनाना चाहती है। उन्होंने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है जिसमें आपात स्थिति जीवन का सामान्य अंग बन गई है तथा 'आंसुका' और भारत रक्षा अधिनियम के अन्तर्गत असाधारण शक्तियां दी गई हैं। तथा न्यायालय की शक्ति कम कर दी गई है और कार्यापालिका एवं नौकरशाही की शक्तियां बढा कर बहुत अनियंत्रित करदी गई हैं। देश में सामान्यतः यही स्थिति पैदा हो गई है।

अतः मैं 'लोकतंत्र' के हित में सरकार से निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को पुरःस्थापित न किया जाये और इसे वापस ले लिया जाये और फिर जनता के पास जा कर उसका समर्थन प्राप्त किया जाये। तभी आप यह दावा कर सकते हैं कि आप लोक तंत्र में विश्वास रखते हैं।

श्री एच० आर० गोखले : इस बात पर हंसी आती है कि जिन लोगों का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है और जिन्होंने अपने कृत्यों से यह प्रदर्शित किया है कि वे लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते और अवसर मिलते ही जो लोकतंत्र को नष्ट करने को कटिबद्ध हैं, आज वे ही लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि लोकतंत्र में क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए।

इस समय इस विधेयक के बारे में जो प्रश्न उठाया जा सकता है वह इस की संवैधानिक वैधता के बारे में है। परन्तु सदस्य बड़ी आसानी से खण्ड 2 का उल्लेख करने से बचा गये हैं कि लोक सभा की कालावधि को जो कि लोक सभा (कालावधि विस्तारण) अधिनियम, 1976 द्वारा एक वर्ष के लिए बढ़ाई गई थी, एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा रहा है। यह संविधान की व्यवस्था के अन्तर्गत किया जा रहा है। इस लिए इस में कोई संवैधानिक प्रश्न अन्तर्ग्रस नहीं है।

इसके अतिरिक्त अन्य बात तिथि के बारे में कही गई है। अनुच्छेद 87 का उल्लेख किया गया है। इस मामले में अनुच्छेद 87 बिल्कुल संगत नहीं है। इस मामले में अनुच्छेद 83(2) संगत है, जिस में कहा गया है :—

> "लोक सभा, यदि पहले विघटित न कर दी जाये, तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियुक्त तारीख से पांच वर्ष तक चालू रहेगी और इस से अधिक नहीं तथा पांच वर्ष की उक्त कालावधि की समाप्ति का परिणाम लोक सभा का विघटन होगा।"

अतः अवधि पहली बैठक की तारीख से बढ़ाई जाती है। इसी लिये 18 मार्च का उल्लेख किया गया है।

प्रश्न यह है :

> "कि वर्तमान लोक सभा की कालावधि को और बढाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री एच० आर० गोखले : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अनुदानों की अनुपूरक माँगें (रेल) 1976–77 और अतिरिक्त अनुदानों की माँगें रेल (1974–75)

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAY) 1976-77 AND DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (RAILWAY) 1974-75

अध्यक्ष महोदय : अब निम्नलिखित अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) 1976–77 तथा अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेल) 1974–75 पर चर्चा की जायेगी।

वर्ष 1976-77 के लिए रेल मंत्रालय की निम्नलिखित अनुपूरक मांग तथा वर्ष 1974-75 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें प्रस्तुत की गई :—

अनुपूरक अनुदानों की मांग

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
15	चालू लाइन निर्माण-पूंजी मूल्यह्रास आरक्षित निधि और विकास निधि	1,000

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		पये
1	रेलवे बार्ड	5,58,431
3	चालित लाइनों और अन्य का भुगतान	52,265
8	संचालन व्यय—परिचालन (कर्मचारी और ईंधन को छोड़कर)	1,11,15,907
15	चालू लाइन निर्माण-पुंजी, मूल्यह्रास आरक्षित निधि और विकास निधि	16,78,53,181

श्री सेझियान (कुम्कोणम) : मेरा एक व्यस्था का प्रश्न है । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इन अनुदानों की अनुपूरक मांगों, 1976-77 पर सभा में विचार नहीं हो पाया था, क्योंकि यह विधिवत नहीं थीं। यह मांगें मुख्यतया आकस्मिक निधि से ली गई राशियों के बारे में हैं। जैसा कि आप को ज्ञात है आकस्मिक निधि अप्रत्याशित खर्चों के लिए होती है, न कि बजट अनुदानों में प्रस्तुत करने के लिए। आकस्मिक निधि के बारे में बहुत से नियम तथा प्रक्रियायें है, जिन का पालन किया जाना चाहिए।

मैं सामान्य वित्त नियम का उल्लेख कर रहा हूं। सामान्य वित्त नियम 8 में उल्लेख किया गया है कि ऐसे खर्चों के बारे में, जिन के लिए आकस्मिक निधि से अग्रिम राशियां दी गई हों, अनुपूरक मांगे अगले ही सत्र में पेश की जायेंगी, जिस में कि अग्रिम राशि स्वीकृत की गई है। जैसे ही संसद अतिरिक्त व्यय मंजूर कर देती है, राशि की आकस्मिक निधि में पूर्ति कर देनी चाहिये।

मांग संख्या 14 को देखिए। इसमें बताया गया हैं कि पारित व्यय में 2.4 लाख रुपयों की अदायगी किसी न्यायालय की डिक्री पर की गई थी। यह राशि अगस्त, 1976 में भारत की आकस्मिकता निधि से ली गई थी । यदि इन में ऐसी राशियां है जिन के लिए 1 से 9 अगस्त तक अग्रिम राशियां ली गई थी, तो उन्हें नियमानुसार सभा के समक्ष रखा जाना चाहिए था। सरकार इस निर्णय से अवगत थी और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था।

अतः मांग संख्या 14 के अन्तर्गत दी गई अग्रिम राशि सही रूप से नियमित नहीं की जा रही है। अब प्रश्न यह उठता है कि उन्होंने नियमों या अध्यक्ष महोदय के निर्णय का पालन क्यों नहीं किया । यदि उन्होंने 9 अगस्त से पूर्व ही यह राशि निकाल ली थी तो उन्हें अनिवार्य नियम के अनुरूप गत सत्र में ही सभा को इस बात से अवगत करा देना चाहिए था। यदि 9 अगस्त के बाद किया गया है तो यह अध्यक्ष पीठ के विनिर्णय के विरुद्ध है। अतः यह सही रूप से नियमित नहीं की जा रही है। अतः मांग 14 को इस पृष्ठ भूमि में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः यह संसद् इस अवस्था में इस मांग पर चर्चा करने के लिए सक्षम नहीं है।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : माननीय सदस्य का मत सही नहीं है। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में इस बारे में स्पष्ट उल्लेख है। समिति ने सिफारिश की है कि सामान्यतः नई सेवा के लिए आकस्मिकता निधि से धन नहीं निकाला जाना चाहिए। यह नई सेवा नहीं है। यह प्रभारित व्यय है। यह एक अलग बात हुई।

लोक सभा के निदेशानुसार नई सेवा के लिए आकस्मिकता निधि से धन नहीं निकाला जाना चाहिए। परन्तु यह नई सेवा नहीं है। अतः माननीय सदस्य का मत सही नहीं है।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) **:** प्रतिवेदन में विशिष्ट रूप से नई सेवा से सम्बन्धित व्यय का उल्लेख है। इस प्रकार के व्यय के मामले में सरकारी नियमों के अन्तर्गत कुछ प्रक्रियायें बनाई गई थीं। यदि सरकार को धन चाहिए तो उन्हें एक विशिष्ट ढंग से धन मांगना होगा। यह राशि संसद् के अगस्त सितम्बर सत्र में मांगी जानी चाहिए थी। इस प्रकार के दोष को छिपाया नहीं जाना चाहिए।

श्री भागवत झा आजाद : लोक लेखा समिति द्वारा की गई कोई भी सिफारिश वित्तीय मामलों सम्बन्धी आकस्मिकता नियमों को रद्द नहीं कर सकती ।

अध्यक्ष महोदय : चर्चा जारी रह सकती है । हम इस बारे में बाद में विचार करेंगे ।

श्री भागवत झा आजाद : उद्धृत आदेशों के अधीन चर्चा नहीं चल सकती । लेकिन अध्यक्ष महोदय इसे हटा सकते हैं या कोई और रास्ता निकाल सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : नियम यह है कि ऐसे मामलों में शीघ्रातिशीघ्र सभा की अनुमति ली जानी चाहिए । ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में सरकार से चूक हुई है, हालांकि मंत्री महोदय ने स्थिति स्पष्ट करने के लिए समय मांगा है । यदि यह पाया जाता है कि इस मामले में चूक हुई है, तो सभा इस बात को ध्यान में रख सकती है और यह चेतावनी दे सकती है कि ऐसा भविष्य में न किया जाये । लेकिन ऐसी कोई प्रक्रिया या नियम नहीं है जिसके अन्तर्गत इस पर चर्चा करने की मनाही हो । अतः चर्चा जारी रह सकती है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : मैं अतिरिक्त अनुदानों की मांगों तथा अन्य मांगों का विरोध करता हूं । कहा गया है कि न्यायालय की डिगरियों के अनुपालन के कारण अतिरिक्त व्यय हुआ है । रेलवे प्रशासन ने यह अदायगियां ऐसे मामलों में की हैं, जिन में न्यायालय का निर्णय उन के विरुद्ध गया है । कर्मचारियों की बर्खास्तगी और नौकरी से हटाये जाने के मामले आये हैं । न्यायालय ने इस आधार पर रेलवे प्रशासन के आदेशों को रद्द किया है कि उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 311(2) के अन्तर्गत दी गई प्रक्रिया का पालन नहीं किया । कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दिया गया है । रेलवे प्रशासन ने नियमों की परवाह नहीं की और इसी कारण से न्यायालय ने उन के विरुद्ध निर्णय दिया है । और रेलवे प्रशासन के आदेशों को रद्द किया गया है । अब रेलवे प्रशासन ने इन निर्णयों के विरुद्ध अपील करने का निर्णय किया है । इन मामलों पर सरकार का धन खर्च हुआ है तथा अपीलों में और धन खर्च होगा । रेलवे प्रशासन को अपना रवैया बदलना चाहिए और ऐसे मामलों में अपील नहीं करनी चाहिए जिन में न्यायालयों ने कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पी० के० देव ने एक कटौती प्रस्ताव की सूचना दी है । वह इसे पेश कर सकते हैं ।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> कि चालू लाइन निर्माण-पूंजी, मूल्यह्रास आरक्षित निधि और विकास निधि (पृष्ठ 3-4 के सम्बन्ध में 1,000 रुपये से अधिक राशि के अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

> "पी० सी० सी० रेलवे स्लीपरों के क्रयादेश एकाधिकारवादी गृहों के बजाय लघु उद्योगों को देने की वांछनीयता ।"

Sardar Swaran Singh Sokhi (Jamshedpur) : In the Demands for Grants for 1976-77, a sum of Rs. 3·61 lakhs has been earmarked for court-decrees and a sum of Rs. 1,000 has been earmarked for 'works' as a token amount. I would like to know the nature of these court-decrees and whether they pertain to the contract or labour or pilferage. I would also like to know as to why the said amount has been earmarked for court decrees and how far the staff is responsible therefor.

The government accepts such of the recommendations of Public Accounts Committee as are found suitable for them and reject those which do not suit them.

मांग संख्या 74 के बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि विलम्ब के क्या कारण हैं। मेरा सुझाव है कि जिन मामलों में डिगरियों को पैसा दिया जाता है वह राशि रेल अधिकारियों से वसूल की जाये ।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : पहली बात न्यायालय डिगरियों के अनुपालन में अधिक अदायगी करने के कारण अतिरिक्त अनुदानों की मांग की जाती है। श्रमिक परामर्शदात्री समिति ने एकमत से यह निर्णय दिया था और श्रम मंत्री को सलाह भी दी थी कि रेलवे को उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील करके कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए । लेकिन इसके बावजूद भी अपील की गई ।

दूसरी बात यह है कि अनुदान मांग संख्या 14 नई लाइनों का निर्माण पूंजी तथा मूल्यह्रास निधि के अन्तर्गत कुछ निर्माण कार्य चल रहा है। अमृतसर लाहौर सेक्शन में भारत और पाकिस्तान के बीच रेलवे लाईन को पुनः चालू करने का मामला भी है। गत कुछ वर्षों से हम डमडम जंक्शन से बरिसाट के बीच दोहरी लाईन बिछाने की मांग करते रहे हैं। बंगला देश और भारत के बीच सीधी रेल सेवा होनी चाहिए।

हालांकि रेलवे प्राधिकारियों ने सिद्धांत रूप से यह बात स्वीकार कर ली है, फिर भी प्रगति नहीं हो रही है। डमडम जंकशन से बरसाट के बीच की दूरी केवल 6 या 7 मील है। यह एक छोटा सा क्षेत्र है और कुछ लाख रुपये खर्च करके शुरुआत की जा सकती है।

Shri Bhagwat JhaAzad (Bhagalpur): Mr. Deputy Speaker, I rise to support these demands. However, by way of suggestion, it can be said that we should follow the rules in this connection.

I am happy that the Railways have done good work in the past and now before bringing forward these supplementary grants, I am glad that the Enquiry Committee appointed under the chairmanship of Shri Qureshi has shown that the Railways have netted Rs. 156 crores as savings. I congratulate the Railway Minister for it.

The Railway Board has done commendable service for the propagation of Hindi in the railways and for this it desterves to be congratulated.

The demands for railways can be justified any when a double railway line is laid between Kiul and Bhagalpur.

श्री पी० के० देव : पूर्व प्रतिबलित (प्रीस्ट्रैस्ड) सीमेंट कंक्रीट स्लीपरों की सप्लाई के बारे में रेलवे एकाधिकार गृहों को संरक्षण दे रहा है। इनको संरक्षण देने के बजाय क्रयादेश उन विभिन्न लघु उद्योगों को दिए जाने चाहिएं जो रेलवे की मांग के अभाव में बन्द पड़े हैं। हम लघु उद्योगों को कई प्रकार के प्रोत्साहन देते हैं और वे हमारी जरूरतें पूरी करते हैं। हमें उनकी ओर ध्यान देना चाहिए और उन्हें यह प्रोत्साहन भी देना चाहिए।

श्री सेझियान : मांग संख्या 15 के अन्तर्गत रेलवे में 100, रुपए का अनुपूरक अनुदान मांगा है तथा स्पष्टीकरण दिया है कि यह सांकेतिक मांग उस हजार रुपए के अग्रिम की पूर्ति के लिए पेश की जा रही है जो अग्रिम पुलों के निर्माण के लिए भारत की आकस्मिकता निधि में से दिया गया था।

यह बताया गया है कि बम्बई-दिल्ली ट्रंक मार्ग पर कारमबेल तथा वापी स्टेशन के बीच दमन-गंगा पुल 31 जुलाई, 1976 को बह गया था तथा उन्हें शीघ्र ही उसको ठीक करना पड़ा। रेलवे का कहना है कि उसके पुनः निर्माण के लिए सम्भवतः 2.5 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। मैं सभा का ध्यान इस मामले में की गई वित्तीय अथवा प्रक्रिया सम्बन्धी अनियमितता की ओर दिलाना चाहता हूं।

अब देखना यह है कि 1.50 करोड़ रुपए में से कितनी राशि व्यय की जा चुकी है। मेरा कहना यह है कि आकस्मिकता निधि से 1000 रुपए की सांकेतिक राशि लेना बशर्ते कि व्यय 1,000 रुपए से अधिक न हो एक सही प्रक्रिया नहीं है। पहले से ही स्वीकृति राशि में हुई बचत की राशि में से यह पैसा लिया जाना चाहिए था। यदि रेलवे को 1 या $1\frac{1}{2}$ करोड़ रुपए की आवश्यकता थी तो उन्हें आकस्मिकता निधि से पैसा

[श्री सेझियान]

निकालना चाहिए था क्योंकि यह एक नई सेवा है । काम पहले ही शुरू हो चूका है । उसके लिए धन कहां से आया । अगर सरकार ने यह राशि कही से नहीं ली तो यह राशि आई कहां से । अतः यह एक बहुत बड़ी अनियमितता है ।

हम दो अनियमितताओं को नियमित करने का प्रयत्न कर रहे हैं । पहली अनियमितता नियमों के विरुद्ध है । दूसरी अनुपूरक अनुदानों के संबंध में है । यह सही रूप में नहीं है क्योंकि उन्हें यह राशि आकस्मिकता निधि से लेनी चाहिए थी । लेकिन सरकार ने किसी अन्य शीर्ष से यह धन व्यय किया जोकि सदन की स्वीकृति के आधार के विरुद्ध है ।

Shri Ranabahadur Singh (Sidhi) : Mr. Deputy speaker, Sir I support these demands. It is a matter of gratification that Railway line has been introduced for the first time in the tribal region of Madhya Pradesh. This new railway line passes through a village Bargama which has now assume importance and is fast becoming a town. I will suggest that a station should be provided these.

Triveni Express which at present terminates at Topan should be extended upto Morva.

A separate bogie should be introduced for the passengers of Bhopal at Satna station, with these words I conclude.

Shri Naval Kishore Sinha (Muzzafarpur): Railways have done a commendable work in providing more facilities and amenities to railway passengers. Therefore I support these demands and hope that there will be more improvement in the working of Railways.

A number of new stations have been opened and many stations have been given a face lift. Family planning drive is receiving full support from the employees of Railways.

I am happy that Barabanki- Sonepur railway line is being converted into broad gauge.

The policy of allotting ralway stalls to cooperative societies is also good. I, therefore support these demands.

Shr B.V. Naik (Canara) : The Minister recently gave an assurance that the raillink between Hugli and Karwar will be taken up. I urge upon the Minister to see that this survey be taken up early. With these words I support these demands.

Shri M.C. Daga (Pali) : Rajasthan has been totally neglected in respect of giving new railway lines. Rajasthan is an undeveloped region. It is therefore necessary to provide transport infra-structure to that State so that development can be expedited.

Ahmedabad-Delhi railway line be converted into broad gauge.

Railways have been paying Rs 17 crores as compensation for damages every year. Effective steps should be taken so that this huge loss can be avoided.

श्री पी० वेंकटसुब्बया (नन्दयाल) : उपाध्यक्ष महोदय मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं । मैं रेल मंत्री को उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्य के लिए बधाई देता हूं ।

बीबीनगर–नाड़ीकुडा रेलवे लाइन को शीघ्र ही पूरा किया जाना चाहिए । जिस गति से कार्य चल रहा है उससे लगता है कि इसे पूरा होने में कम से कम 10–15 वर्ष लगेंगे । इस लाइन के लिए और राशि आवंटित की जानी चाहिए । रायलसीमा क्षेत्र में, जो कि एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, गुडप्पा होते हुए नंदयाल-वतन्दी लाईन का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए । यह सुनिश्चित करने के

लिए कि उस क्षेत्र का तेजी से विकास हो वहां इस तरह की लाइन का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर): रेलवे में किफायत की काफी गुंजाइश है । उदाहरणार्थ सेंट्रल इंडिया कोयला क्षेत्र में 40 भाप वाले इंजनों का प्रयोग कर सकते हैं और डीजल इंजनों का प्रयोग दूर दराज के क्षेत्रों के लिये किया जा सकता है ।

प्रथम श्रेणी के अधिकांश डिब्बों में से परिचरों को हटा लिया गया है । इससे न केवल यात्रियों को कठिनाई होती है बल्कि असुरक्षा भी बढ़ गई है । इस पर विचार किया जाना चाहिए । बचत गलत तरीके से की जा रही है । ऐसी बचत से रेल कर्मचारियों और यात्रियों दोनों को असुविधा होती है ।

दमन गंगा पर पुल बनाने हेतु 1000 रुपये की सांकेतिक राशि पर मतदान करने के लिए कहा गया है । इस संदर्भ में मैं यह बताना चाहती हूं कि हाल में रेल दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है । रेल डिब्बों के रखरखाव में काफी लापरवाही बरती जाती है । इसकी सही रूप से जांच होनी चाहिए । यदि हम रेलवे के रख-रखाव एव कार्य संचालन कुशलता में वृद्धि करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि याचिका समिति के बारे में रेल बोर्ड के निर्देशों का कार्यान्वियन शीघ्रता से किया जाए । वर्ष 1974 की हड़ताल के दौरान जिन कर्मचारियों को तंग किया गया था और नौकरी से निकाल दिया गया था और जिनके विरुद्ध हिंसा के कोई आरोप नहीं हैं । उनको नौकरी पर वापिस ले लेना चाहिए ।

रेलवे के लाखों नैमतिक एवं अस्थाई कर्मचारियों पर जिनका सेवानिवृत्त होने के बाद कोई आर्थिक सहारा नहीं रह जाता उपदान अधिनियम लागू नहीं होता । उपदान के संबंध में एक मामला मद्रास उच्च न्ययालय में विचाराधीन है । मंत्री महोदय इस मामले को वापिस ले लें और रेल कर्मचारियों पर उपदान अधिनियम लागू करें ।

Shri R.P. Yadav (Madhepura) : Mr. deputy speaker, Sir, I rise to support the supplementary demands for grants. The working of railways has been improved a lot during emergency.

I would like to submit few words about two lines of my area. Already a survey has been made and estimate prepared in respect of Dauram-Madhepure -Singaheshwrr railway line. The construction of this line should be expedited.

Survey has also been completed in regard to Biheriganj-Simoni Bakhtiyarpur railway line. It should also be undertaken early. Both these lines are in backward area. Therefore they need special attention.

Jyanti— Janta express is an important train. It carries 18 compartment usually it has less compartments than its total strength. It creates difficulties for passengers this should be looked into.

Baurani-Katihar railway line should be converted into broad gauge.

श्री वी० के० दास चौधरी : (कूच बिहार) : गत $2^1/_2$ वर्षों के दौरान रेलवे की सेवाओं में काफी सुधार हुआ है फिर भी कुछ क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है । इस समय घाटे में चलने वाली रेलों से 80 करोड़ पये का नुक्सान हो रहा है । लेकिन यदि इन मार्गों पर डीजल रेल कार लगा दी जाए तो वह रेल लाइने लाभकर सिद्ध हो सकती हैं । अलीपुर जंक्शन से बंगला देश के बीच चल रही ब्रांच लाइन सेवा भी घाटे में चल रही है लेकिन यदि इस लाइन पर डीजल रेल कार लगाई जाए तो वह घाटा दूर किया जा सकता है ।

[श्री वी० के० दास चौधरी]

कूच बिहार बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां एक नई रेल लाईन बिछाने के संबंध में सर्वेक्षण पूरा हो चुका है मेरा अनुरोध है कि वहां काम शीघ्र पूरा किया जाए।

रेलवे की खान-पान व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। इसकी जांच की जानी चाहिए तथा इसमें सुधार किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

Shri Jaganath Mishra (Madhubani) : The railways have improved their services in all respects. I congratulate the hon. Minister for Railways for doing good work and for toning up the administration. I therefore support these supplementary demands for grants.

I would like to say few words about my area.

Although a decision has been taken to take up Sakri-Hasanpur railway line but the work on that time has not started on the grant ground that State Government should come forward to provide land for this railway line. It is fair to burden a backward state in this manner. The Minister should look into this and see that this railway line is taken up early.

Chikna flag station should be raised to a crossing station. This will accelerate development of that area. Samastipur-Darbhanga line should be converted into a broad gauge line.

The construction of Nirmali Sarai garh railway line will connect Bihar and Uttar Pradesh to Assam.

With these words I support these demands.

Shri Paripurnanand Painuli (Tehri Garhwal) : Estimates Committee has time and again recommended that with a view to accelerate the dedevelopment of backward areas, new railway lines should be provided there. Every time a demand for a new railway line is made, it is turned down on the ground that funds are not available or that such a line will be uneconomic. That is unfair. The demands of backward areas should be given preference.

At present in my constituency the railway line terminates at Rishikesh. It should be extended upto Muni-ki-Reti.

A survey has already been made for a railway line from Dehra-Dun to Dak Pathar. The work on this new line should be taken up early.

Shri Chandrika Prasad (Balia) : Eastern Uttar Pradesh is a very backward area but very little attention has been paid to that region, so far as railway lines are concerned. I request that Marhwadi-Bhatni railway line should be converted into broad-gauge line. New railway lines should be provided for Buxar to Balia and from Belthana Road to Balia.

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : रेलवे ने 5 लाख अतिरिक्त अनुदानों की मांगे रखी हैं। रेलवे बोर्ड को अपना खर्च कम करना चाहिए, बल्कि उन्हें कुछ बचाना चाहिए।

रेलवे यार्डों आदि में सामान को गलत तरीके से चढ़ाने-उतारने के कारण मुआवजा दिए जाने के लिए 10 लाख रुपये की मांग की गई है। यह मुआवजा भी घूस देने पर निर्भर करता है। क्विलोन के एक लघु उद्योग को एक लाख रुपया मुआवजे का भुगतान करना है क्योंकि कोचीन के माल गोदाम में उसके माल को ठीक प्रकार से संभाला नहीं गया था। उस व्यक्ति को अभी तक मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि उसने मद्रास में अधिकारियों को रिश्वत नहीं दी। मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें।

जयंती जनता एक्सप्रैस गाड़ी में कोई अटेंडेंट नहीं होता। जब यात्री लोग सोये होते हैं उस समय उनका माल चोरी हो जाता है। इस सम्बन्ध में ध्यान देकर आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। एलोपी से एर्णाकुलम तक एक नई रेलवे लाईन बिछाई जाए।

Shri K. Ramakrishnaa Reddy (Nalgonda) : Andhra Express which at present is bi-weekly should be run daily.

More funds should be allotted for Bibi Nagar-Nadipuda railway line, the estimated cost of which at present stands at 25 crores. At the present speed of work and with the meagre allocations so far made, this work is not going to be completed in less than 50 years. This should be looked into and more funds be made available for this important railway line.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : दामनगंगा नदी पर जिस तत्परता और द्रुतगति से अर्थात् दो महानों से कम समय में जो पुल बनाया गया है उसके लिए रेल प्रशासन बधाई का पात्र है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या रेलवे प्रशासन ने ऐसे पुराने पुलों के सर्वेक्षण के प्रश्न पर भी विचार किया है? मैं सुझाव देना चाहता हूं कि सभी ऐसे पुल जो पचास वर्ष या इससे अधिक पुराने हैं का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए ताकि उनके सुरक्षित होने को सुनिश्चित किया जा सके। सरकार को मितव्ययता और बुद्धिमत्ता से काम करना चाहिए और आवश्यक व्यय करना चाहिए।

दक्षिणी गुजरात में छोटे बड़े बहुत अधिक पुल हैं। दामनगंगा पर पुल दिल्ली बम्बई की मुख्य सड़क पर है। बम्बई और अहमदाबाद भी मुख्य सड़क है। इन सड़कों पर अनेक पुलों की हालत खराब है। रेल मंत्री को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए क्योंकि यदि इन मार्गों पर यदि कोई पुल क्षतिग्रस्त हो जाता है तो न केवल यात्री यातायात अपितु माल यातायात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस पर ध्यान दिया जाये।

भावनगर-तारापुर नई रेलवे लाइन के निर्माण में गति लाई जाए, क्योंकि प्रतिवर्ष लागत बढ़ती जा रही है।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Martin Light Railway should be taken over by the government because this company has failed to run trains regularly and to meet the demands of the people in the areas covered by it.

Patna-Gaya railway line should be doubled. The electrifications of Mughalsarai-Calcutta railway line should be speeded up.

All the employees, who were affected as a result of the railway strike should be reinstated.

Shri Nageshwar Dwivedi: (Machhlishahar) The railways have made an all round improvement under the present Railway Minister. But still there are employees who do not want to change their old attitude. Watch should be kept on such employees.

During the tenure of the present Minister Convension of meter guage lines is taking pace fast. There was a long standing demand for converting Banaras Allahabad line in to Broad guage survey has already been made for this. It is hoped that orders will be issued to complete this work soon.

Different qualities of food are being surved on different railways but charges are the same. On certain railways quality of the food being served is not good. Departmental Catering should be introduced on all the railways so as to have uniformity and good to quality of food.

There has been lot of improvement in the manner of recruitment of class III employees under the guidance of the Minister. But of late there has been some deterioration in this regard. Steps should be taken to improve matters in this regard so that people can be benefited.

Shri M.D. Jamilurrahman (Kishanganj):— The Railway Act is very old. It should be revised and brought in tune with the changed situation.

The line from Yogvani to katihar should be converted into broad guage. It will held in achieving national integration. Local people should be given preference in the matter of appointments to class IV posts in the Railways.

Shri R. R. Sharma (Barda): During emergency lot of work has been done in the railways Numbers of crimes has gone down and people confidence in the safe travel in the railways has been restored.

The drinking water available to on the Barda station is not clean. There is threat of spread of disease. Steps should be taken to supply clean water on the station.

There has been a long standing demand for running an express train from Jhansi to Allahabad and Banaras. This train is expected to start running all these days. But it has not yet started. This train should start running at least by the end of this month.

The demand for providing a train between Chitrakut and Chitrakut Dham should be met.

Shri K.M. Madhukar (Kesaria): There has been a demand for a broad guageline from Mazaffarpur to Raxaul. This demand should be met.

A branch line from Hajipur to Sugauli *via* Lalganj Vaishali, Sahabganj and Kesaria should be provided. It will be a profitable line.

There are four express trains which run between Muzaffarpur and Naharkatiyaganj but people are not benefited. People want only two express trains but they should provide facilities to them.

Chhitauni Bridge is under construction. There should be no let up in this work.

Broad gauge line has been provided from Mazaffarpur to Sonapur. It should be extended to Paliaghat.

Shri Hari Singh (Khurja) : The Railway have improved a lot under the able guidance of the Railway Minister and his colleagues.

A first class coach used to be attached to 30 Down from Bulandshahr. This coach has been withdrawn This has caused great inconvenience to the people. This coach should be restored.

Thousands of people come to Delhi from Bulandshahr daily. A direct train from Delhi to Bulandshahr should be provided.

Dr. Govind Dass Richharia (Jhansi) : The minister and his Colleagues deserved congratulations for the all round development of the Railways.

A new train from Jhansi to Mughalsarai is likely to start running soon. It is hoped that this train will start running by the end of this month.

A very good train has been provided for Tamil Nadu. This train should run daily.

Shri Jagdish Chandra Dixit (Sitapur) : While supporting the demands I would like to point out that in the north of the Gomati River in the Central U.P. Sitapur is the only place Where there is broad gauge railline I would request that this line may be extended upto Naimsharanaya so that this area is also accessible to the people.

Shri Narsing Narain Pandey (Gorakhpur): I support the supplementary demands for Railways. The construction work on the Gorakhpur Baraurj line should be speeded up as at present there is no need to construct bridges on the Rapti and Ghaghra rivers. If this work is speeded up it can be completed within a period of six months or one year.

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : श्री ईरा सेझियान को छोड़कर लगभग सभी सदस्यों ने रेलों के काम की सराहना की है । यह सुधार सम्भव नहीं होता यदि

सभी रेल कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त नहीं होता। यह उनकी लगन और अनुशासन के कारण ही है कि इन परिणामों, जिन की सराहना की गई है, को प्राप्त करने में सफल हुए हैं।

अनुपूरक मांगों की आवश्यकता इस लिए पड़ी है क्योंकि अगस्त-अक्तूबर, 1976 में 3.62 लाख रुपये, जिसमें एक स्वीकृत मांग (एक हजार रुपये) और दो प्रभारित विनियोग (3.61 लाखत रुपये) आकस्मिकता निधि में से प्राप्त अग्रिम राशि को पूरा करना था। इस निधि में से अग्रिम धन लेने की उस समय आवश्यकता पड़ी जब संसद का सत्र नहीं हो रहा था। आकस्मिकता निधि के नियमों में उपबन्ध है कि अनुपूरक मांगो द्वारा राशि को ससद के पहल सत्र में स्वीकृति दिलाकर निधि को पूरा किया जाये। इसी लिए यह अनुपूरक मागें पेश की गई हैं।

स्वीकृत व्यय के अधीन एक हजार रुपये की मांग पश्चिम रेलव के बम्बई-दिल्ली ट्रंक मार्ग पर कर्मबेला और वापी के बीच दामनगंगा नदी पर पुल के निर्माण को शीघ्रता से हाथ में लेने की आवश्यकता के कारण लाई गई है। 31–7–1976 को पहले वाला पुल अचानक टूट गया था। यह नदी में अभूतपूर्व बाढ़ के कारण हुआ था। पुल के पुनर्निर्माण कार्य के लिये बजट में पहले प्रावधान नहीं किया जा सकता था। यह पुल दिल्ली-बम्बई महत्वपूर्ण ट्रंक मार्ग पर स्थित है। इस मार्ग पर यातायात बाद नहीं किया जा सकता। अतः अस्थायी रूप से यातायात को मोड़ दिया गया है। पुल पर 2.50 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है और चालू वर्ष 1.25 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इस समय मैंने केवल एक हजार रुपये के सांकेतिक प्रावधान का प्रस्ताव किया है। बाद में मैं अतिरिक्त राशि की मांग सभा के समक्ष रख सकता हूं। 3.61 लाख रुपये के दो प्रभारित विनियोगों का ब्यौरा संसद में अनुपूरक मांगों सम्बन्धी प्रस्तुत की गई पुस्तिका में दिया गया है। आकस्मिकता निधि में से भुगतान की आवश्यकता न्यायालय की डिग्रियों को पूरा करने के लिये पड़ी थी।

दो मामले हुए हैं। एक भूमि के अर्जन के बारे में है। एक मामले में कुल आवश्यकता 5.40 लाख पये की थी और बजट में 3 लाख रुपये की व्यवस्था थी। दूसरा मामला घातक दुर्घटनाओं के बारे में है जोकि घातक दुर्घटना अधिनियम के अन्तर्गत है। इसमें हमने 1.2 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी और वास्तविक व्यय 3.61 लाख रुपये हुआ है।

वर्ष 1974–75 के दौर वास्तविक व्यय स्वीकृत आवंटन से 17.96 करोड़ पये अधिक हुआ। चार एसे मामले हुए जिनमें अन्तिम अनुदान से वास्तविक व्यय अधिक हुआ। दो मामले एसे थे जिसमें प्रभारित विनियोगों से व्यय अधिक हुआ। दो अनुदानों के अधीन 17.96 करोड़ रुपये अधिक थे। अनुदान संख्या 8 के अधीन 1.11 करोड़ रुपये की अधिक राशि 72.78 करोड़ रुपये के कुल अनुदान का 1.5 प्रतिशत था। यह मुख्यतः मूल्यों में वृद्धि, रिफ के संशोधन के कारण बिजली व्यय में वृद्धि और मुआवजे के अधिक दावों के कारण है। अनुदान संख्या 15 के अन्तगत 16.79 करोड़ रुपये की वृद्धि 835.55 करोड़ रुपये के कुल अनुदान का 2 प्रतिशत है। यह बढ़ा हुआ व्यय माल डिब्बों, संयंत्र और मशीनों के अर्जन के कारण हुआ। प्रभारित विनियोगों के अन्तर्गत व्यय में वृद्धि न्यायालयों की डिग्रियों को पूरा करने के कारण हुई।

लोक लेखा समिति की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए और इन वृद्धियों को नियमित करते हुए व्यय नियंत्रण के लिए कदम उठाये गए हैं ताकि स्वीकृत अनुदानों से अधिक व्यय को कम से कम

[श्री मोहम्मद शफी कुरेशी]

रखा जाये। वर्ष 1976-77 के बजट में वर्ष के अन्त में 8.98 करोड़ पये की फालतू राशि दिखाई गई थी। चालू वर्ष के पहले 6 महीनों की प्रगति को देखते हुए यह आशा है कि रेलवे बजट के अनुरूप परिणाम प्राप्त कर लिये जायेंगे।

पिछड़े क्षेत्रों में कुछ रेल लाइनों और नई रेल लाइनों के बारे में सुझाव दिये गये हैं। हम वस्तुस्थिति से आंखें मूंदे हुए नहीं हैं। जैसाकि रेल मंत्री ने अनेक बार कहा है कि हम पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये बहुत उत्सुक है। परन्तु धना भाव की कठिनाइयां हैं। अब जबकि स्थिति में सुधार हो रहा हैं, हमें प्रयत्नशील हैं कि पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिये सदस्यों द्वारा जो नई लाइनें मांगी गई हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाये।

हमने पहले दर्जे से कोच परिचर नहीं हटाये हैं जैसे कि आरोप लगाया गया है। रेलवे प्रशासन अब अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये अधिक कदम उठा रहा है। प्रतीक्षालय सम्बन्धी सुविधा में भेदभाव समाप्त किया जा रहा है। भविष्य में पहले और दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालयों में कोई अन्तर नहीं होगा। सभी यात्रियों को यह सुविधा उपलब्ध गी। हम 3 करोड़ रुपये यात्री सुविधाओं पर खर्च कर रहे हैं। हम देखेंगे कि ये उन स्थानों पर उपलब्ध की जायें जहां इनका अभाव है।

एक सदस्य ने रेल अधिनियम में संशोधन का उल्लेख किया है। यह सच है कि यह 100 वर्ष पूराना है, परन्तु समूचे अधिनियम का संशोधन किया गया है। इसके एक भाग को विधि मंत्रालय को भेजा गया है। केवल एक छोटा भाग रहता हैं। रेल अधिनियम का जब संशोधन हो जावगा तब यह यात्री और माल यातायात का आवश्यकताओं को भला प्रकार पूरा कर सकेगा।

कहा गया हैं कि बहुत से पुल ऐसे हैं जो 100 वर्ष पूराने हैं यह सही हैं कि कई पुल पुराने हैं किन्तु उन पर बराबर निगरानी रखी जा रही हैं। हमारे पुल निरीक्षकों तथा मुख्य पुल अभियन्ता द्वारा नियमित रूप से उनका निरीक्षण किया जाता हैं। जहां कहीं हम यह देखते हैं कि कोई पुल यातायात के लिये सुरक्षित नहीं हैं तो हम तत्काल उसके पुर्ननिर्माण या उसके स्तम्भों को पुनः मजबूत करने या अन्य आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कदम उठाते हैं ताकि यातायात में कोई कठिनाई न हो। कहा गया है कि दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। गत तीन वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में काफी कमी आई है। हमें आशा है कि ऐसी स्थिति बनी रहेगी और इसमें और अधिक सुधार भी होगा।

श्री सेझियान : मैंने व्यवस्था के दो प्रश्न उठाये थे, जिनका उत्तर नहीं दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री जी ने कहा है कहा है कि आकस्मिकता निधि से जो कुछ राशि संसद् के सत्रावसान के दौरान निकाली गई थी वह कानूनी दृष्टि से वैध थी। श्री सेझियान का कहना है कि जब 9 अगस्त, को ऐसा किया गया था तो फ़िर अगले सत्र में यह बात सभा के ध्यान में क्यों नहीं लाई गई। सभा को वित्तीय नियमों पर नियन्त्रण करने का अधिकार है। यह कोई भूलचूक हो सकती है। यह एक प्रकार का लघु पाप है।

दूसरी बात 1000 रुपयों के बारे में है, जिसे सरकार आकस्मिकता निधि को पूरा करने के लिए समेकित निधि से निकालना चाहती है। श्री सेझियान ने बताया है कि सरकार आकस्मिकता निधि से सांकेतिक अनुदान नहीं ले सकती और फिर इसे इस तरह पूरा नहीं कर सकती। हमने इन बातों

को ध्यान में रख लिया है। यदि अतीत में इस तरह की अनियमितताएं हुई हैं तो उनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इस बारे में मन्त्री जी को कुछ सतर्क रहना चाहिए। हमें यह मामला यहीं समाप्त कर देना चाहिए।

अब मैं श्री पी० के० देव द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 1 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Cut Motion No.1 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा रेलवे के सम्बन्ध में अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई।

मांग संख्या	मांग का नाम	राशि
		रुपये
15	चालू लाइन निर्माण-पूंजी, मूल्यह्रास आरक्षित निधि और विकास निधि	1,000

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा रेलवे के सम्बन्ध में अतिरिक्त अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं।

मांग संख्या	मांग का नाम	राशि
		रुपये
1	रेलवे बोर्ड	5,58,431
3	चालित लाइनों और अन्य को भुगतान	52,265
8	संचालन व्यय—परिचालन (कर्मचारी और ईंधन को छोड़कर) . .	1,11,15,907
15	चालू लाइन निर्माण-पजी, मूल्यह्रास आरक्षित निधि और विकास निधि .	16,78,53,181

विनियोग (रेल) संख्या 4 विधेयक, 1976

APPROPRIATION (RAILWAYS) NO. 4 BILL, 1976

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1976–77 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशि के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1976–77 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1976–77 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1976–77 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार विचार आरम्भ करेंगे।

प्रश्न यह है:

" कि खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियम, सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clauses 2 and 3, the schedule clause 1, the Enacting Formula and the title were added to the Bill.

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं प्रस्ताव करता हूं:

'कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

विनियोग (रेलवे) संख्या 5 विधेयक, 1976

APPROPRIATION (RAILWAYS) NO 5 BILL, 1976

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि 1975 के मार्च के 31वें दिन समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों की प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन रकमों को पूरा करने के लिये जो उस वर्ष के लिये और उन सेवाओं के लिये अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 1975 के मार्च के 31वें दिन समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों की प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन रकमों को पूरा करने के लिये जो उस वर्ष के लिये और उन सेवाओं के लिये अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 1975 के मार्च के 31वें दिन समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन रकमों को पूरा करने के लिये जो उस वर्ष के लिये और उन सेवाओं के लिये अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 1975 के मार्च के 31वें दिन समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन रकमों को पूरा करने के लिये जो उस वर्ष के लिये और उन सेवाओं के लिये अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clauses 2 and 3, the schedule, Clause 1, the enacting formula and the title were added to the Bill.

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1976-77

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 1976-77

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम वर्ष 1976-77 के बजट (सामान्य) सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा करेंगे ।

वर्ष 1976-77 के लिए बजट सामान्य के सम्बन्ध में अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गई ।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
	कृषि और सिंचाई मन्त्रालय		
2.	कृषि	3,75,00,000	
	राजस्व और बैंकिंग विभाग		
41.	राजस्व और बैंकिंग विभाग . .	6,00,000	..
	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय		
48.	परिवार नियोजन . . .	48,00,00,000	..
	उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय		
61.	उद्योग	..	5,00,000
	पेट्रोलियम मन्त्रालय		
72.	पेट्रोलियम और पेट्रो-रसायन उद्योग . .	..	55,15,51,000
	इस्पात और खान मन्त्रालय		
83.	इस्पात विभाग . . .	..	1,000
	निर्माण और आवास मन्त्रालय		
93.	निर्माण और आवास मन्त्रालय . .	43,12,000	..
94.	लोक निर्माण	27,25,000	..
96.	आवास और शहर विकास . .	2,11,000	..

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय की अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती प्रस्ताव का पाठ	कटौती की राशि
	1	श्री शिब्बनलाल सक्सेना	राष्ट्र विरोधी जनसंख्या नीति तथा देश भर में बड़े पैमाने पर जबरन नसबंदी तथा सरकारी कर्मचारियों, अध्यापकों तथा अन्य लोगों को मासिक वेतन तथा अन्य सुविधाओं से वंचित किया जाना।	राशि में से 100 रुपये कम कर दिये जायें।
			(सांकेतिक)	
48	2	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	नसबन्दी आपरेशनों के मामले में परेशान करने और जोर-जबरदस्ती करने के लिए जिम्मेदार उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में असफलता जिन्होंने प्रधान मंत्री के रजामन्दी और प्रोत्साहित करने की नीति के विरुद्ध कार्य किया है।	राशि में से 100 रुपये कम कर दिये जाय।
	3		नसबन्दी आपरेशनों के लिए स्वच्छ और प्रभावी तरीके सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करने में असफलता जिसके परिणामस्वरूप कई व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, तथा कुछ लोग स्थायी रूप से विकलांग हो गये हैं।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती प्रस्ताव का पाठ	कटौती की राशि
	4		नसबन्दी आपरेशन किये जाने के लिए असन्तोषजनक परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में असफलता।	राशि में से 100 रुपये कम कर दिये जायें।
83	6		काकीनाडा पत्तन पर इस्पात के लदान का ठेका श्रमिक सहकारी समितियों को देने की आवश्यकता।	,,

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय मैं अनुदानों की इस अनुपूरक मांग का विरोध नहीं करता लेकिन मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ है कि 193.99 करोड़ रुपये की राशि में से परिवार नियोजन के लिए केवल 48 करोड़ रुपये की मांग की गई है। इस विषय पर सभा में काफी चर्चा हुई है और हर बार सरकार ने आश्वासन दिया है कि इस बारे में कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी। लेकिन कुछ महीनों से लोगों की यह धारणा बन गई है इस मामले में जबर्दस्ती की जा रही है। कुछ मामलों में तो वाकई ज्यादती की गई है। दिल्ली में तो एक गरीब को अस्थायी रोजगार प्राप्त करने हेतु भी नसबंदी संबंधी प्रमाण पत्र देना पड़ता है।

इसी प्रकार इर्विन अस्पताल में किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का इलाज उस समय तक नहीं होता जब तक कि वह नसबंदी प्रमाणपत्र पेश न करे। ऐसे कई मामलों की ओर हमने स्वास्थ्य मंत्री तथा गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया है लेकिन वह हमेशा यह कहते हैं कि यह आदेश दिल्ली प्रशासन द्वारा जारी किये गये हैं।

ऐसा दिल्ली में ही नहीं अपितु हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि में भी हो रहा है। देश के आम आदमी के बीच एक तरह से आतंक छाया हुआ है। रिक्शा वाले, तांगे वाले आदि सभी को यह भय बना हुआ है कि उन्हें कहीं घसीट कर नसबन्दी के लिए अस्पताल न ले जाएं। इस प्रकार की कड़ी कार्यवाही का समर्थन नहीं किया जा सकता।

अभी-अभी उत्तरप्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुई एक घटना के दौरान कुछ लोग मारे गये। कुछ संसद् सदस्य उस स्थान पर जाना चाहते थे लेकिन उन्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दी गई। पुलिस द्वारा कम से कम 60 व्यक्तियों के मारे जाने का समाचार है क्योंकि लोगों ने उनके विरुद्ध इस्तेमाल की गई ताकत के सामने हथियार डालने से इन्कार कर दिया।

आप को यह जानकर हैरानी होगी कि अध्यापकों के लिए नसबंदी के दो या तीन मामले देना एक प्रकार से अनिवार्य ही है अन्यथा उन्हें उनका वेतन नहीं मिलेगा। जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों अध्यापक स्कूल तथा कालिज नहीं गये और कई जगह स्कूलों तथा कालेजों में पढ़ाई नहीं हुई। अध्यापकगण स्कूल जाने से इसलिए भयभीत नहीं कि उन्हें अपनी नसबंदी करानी पड़ेगी अपितु यदि वह नसबंदी के दो-तीन मामले न ला सके तो उन्हें दण्डित किया जाएगा। सत्तारूढ़ दल के कुछ संसद् सदस्यों, महानगर परिषद् के पार्षदों ने भी दिल्ली में काबू से बाहर हुई स्थिति के बारे में सरकार को अवगत कराया है। सर्वसाधारण तथा व्यक्तियों को इन परिवार नियोजन शिविरों को चलाने के लिए धन देने के लिए कहा जा रहा है। सरकार द्वारा जबरन नसबंदी एक अपराध है। परिवार नियोजन के कोई विरुद्ध नहीं है लेकिन जबर्दस्ती नहीं की जानी चाहिए।

बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी और ब्रेथवाट कम्पनी के लिए कुछ धन मांगा गया है। 1971 में इन कम्पनियों को अपने अधिकार में लिया गया था और अगस्त 1976 में उनका राष्ट्रीयकरण किया गया।

[श्री सी० एम० स्टीफन पीठासीन हुए]
[**Shri C. M. Stephen** *in the Chair*]

हावड़ा बर्नस वैगनों का निर्माण करता है और रेलवे ही इसका मुख्य ग्राहक है। यदि वैगन के मूल्य बढ़ाए नहीं जाते तो यह कम्पनी आत्मनिर्भर नहीं हो सकती।

उत्पादन में वृद्धि हुई है। परन्तु कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया गया है। ब्रथवेट्स के प्रतिनिधि उद्योग मंत्री को ज्ञापन देने आये हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि जिन मामलों में उत्पादन में वृद्धि हुई है और कर्मचारियों ने अपने कर्तव्यों का पालन किया है, उन मामलो में उन्हें बोनस से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए।

Shrimati Mukal Banerjee (New Delhi): Mr. Chairman, Sir, I fail to understand as to why Shri Dinen Bhattacharyya is opposing the money asked for family planning. Does he not know how we will do without family planning in our country? How could the country progress if the production of food and cloth increases by only 40 per cent, while the population increases by 80 per cent?

It is wrong to say that coercive methods are being used for family planning. It fact there have been a few unpleasant incidents at some places. But such cases have happened due to the Jan Sangh and R.S.S. elements, who have infiltrated into the administration. They are resorting to coercive methods.

The hon. Member has made a mention about the circular issued by Delhi Administration. The Director of Education, Delhi has not issued any such circular. It might have been issued by some body else.

An opposition leader has told me that 40 persons have been killed in Muzaffarnagar. Today their number has been raised to 60 and it is feared that tomorrow their number will be quoted as 6000 and day after tomorrow as 600000. In fact those who are against the Government and against the family planning are carrying on such propaganda.

The work of family planning is being carried out for quite some time. Only it has been intensified after the advent of our youth leader. Actually the ladies are thankful that their husbands have gone for vasectomy.

So far as Muslims are concerned the muslim leaders have made it clear that is nothing in Koran against family planning. It is only those who want to create communal trouble, are indulging in such propaganda.

It is a matter of happiness that an amount of Rs. 48 crores has been asked for family planning. I support the Demand.

Shri Rudra Pratap Singh (Barabanki) : Mr. Chairman, Sir, I support the supplementary Demands for Grants, 1976-77. The hon. House will agree that the problem of over population is the most serious of all problems which our country is facing at present and it has got to be solved on a priority basis. It is a matter of gratification that the Congress Party under the leadership of Shrimati Indira Gandhi and the Youth leader Shri Sanjay Gandhi is trying to create a favourable atmosphere for family planning in the country. I have addressed twenty meeting regarding family planning in my constituency. During my tours in connection with family planning work three kinds of questions were raised—economic, physical and religious.

So far as the economic question is concerned, those who have got enough money think that they need not undergo sterilisation, while the labourers think that the more the number of persons in the family the more will they be able to earn. I have pointed out to them that if there are more workers, their wages will go down. I am glad that the workers have realised it.

So far as physical aspect is concerned, I have got myself sterilised on 31st August, 1967 and I find I have no adverse effects so far as sexual potency is concerned rather it makes the couple happier.

As regards religion, I have tried to explain to the people that when the Hindus, Muslims and Sikhs all believe that whatever happiness on this earth it is in accordance with the will of the God, they should also believe that the sterilisation campaign which is being launched all over the country is also in accordance with the will of the God and this has been accepted by them.

It is really unfortunate that reactionary elements, the vested interests and the communalists are taking undue advantage of the lack of education among our people and carrying on a campaign against family planning. But the people of this country have full faith in the leadership of Shrimati Gandhi and it is hoped that those people will not be able to spoil the atmosphere that is being created in the country in favour of family planning

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : Hon'ble Chairman, Sir, in Demand No. 2 an amount of Rs. 5 crores has been asked for giving it to those peasants amongst whom land has been distributed. In this regard it has been stated that 26 lakh acres of land has been acquired out of which about 18 lakh acres of land has been distributed among the peasants. It is a fact that so many acres of land has not been distributed among the peasants. The distribution is on paper only. So it is requested that an Enquiry Committee should be set up to go into the question whether the land has been distributed or not. The Central Government should take initiative in this regard with a view to establish the truth about this statement.

So far as family planning is concerned, I am neither against family planning nor sterilization but, I must say that the way in which family planning programme is being implemented is creating an adverse effect on the improved situation in the country. The Government should seriously think over the problem. It is no secret that coercive methods are being used for sterilization. Coercion should be avoided and attempt should be made to satisfy the people about the utility of this programme.

It is a matter of satisfaction that Burn Standard Company & Braithwate Company have been taken over by the Government. Similarly the sugar mills should also be taken over. In this regard a memorandum signed by 200 members was submitted urging upon the Government to nationalise the sugar mills. I request that at least the mills in U.P. and Bihar should be nationalised in order to help the peasants there. It is also very good that Hindustan Petroleum Corporation Ltd. and ESSO have been taken over. Now an huge amount is being paid in the form of compensation. As the companies have already earned huge profits, no compensation should be paid to them.

I once again urge upon the Government to give up resorting to methods of force and compulsion in regard to implementation of family planning programme. They should seriously ponder over the question of distribution of land among the peasants under the 20 point programme. The Government should set up some machinery to see that funds allotted for farmers are judiciously utilised.

Sardar Swaran Singh Sokhi (Jamshedpur) : Mr. Chairman, Sir, I support the Demands of Grants presented to the House. Demand No. 48 deals with family planning. We have no objection to the sanction of the amount demanded, but a strict watch should be kept over the mode of expenditure to ensure that the amount is not misused.

Demand No. 61 is laudable. Under his Demand an amount of Rs. 5 lakhs has been asked for. I am of the opinion that this amount is not sufficient and more allocation should be made under this Head. It is well done that Burn Standard Company and Braithwate Company have been nationalised. But still old management continues there. It is not good to have the old management. Therefore, new Custodians should be appointed there. Those who have attained the age of superannuation should be retired. The amount demanded under this Head should not be allowed to be misused.

Demand No. 83 relates to the Ministry of Steel and Mines. It has been found that huge stocks of alloy steel are lying unused in Durgapur Steel plant. Attention should be paid to it. the management of Bokaro is not working properly. It should be set right.

Shri M.C. Daga (Pali): The Members of Parliament should avoid the mention of such things which go against family planning. They will be doing disservice to the Country if they high light things that go against family planning. The Government has taken up this programme firmly and it is a amtter of satisfaction that 87 per cent of the target has been achieved. However it is suggested in this connection that more films on family planning should be exhibited. If population explosion is not prevented, it will bring disaster to the country. In regard to family planning males should have no say and only women should be allowed to speak.

It is a matter of happiness that an amount of Rs. 75 crores has been given to the poor. It is also a matter of satisfaction that rural banks have been opened. I wish that more loans should be given to small peasants and landless people in Rajasthan so that they can develop the surplus land that has been distributed among them.

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : संविधान संशोधन विधेयक के पास किये जाने के बाद यह कहना मैं अपना दायित्व समझता हूं कि वित्त मंत्रालय को देश की कुछ समस्याओं तथा आर्थिक कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के बारे में अपना रवैया बदलना चाहिए। मुझे इस बात की जानकारी है कि कुछ गैर-सरकारी बैंक देश के आर्थिक कार्यक्रम को विफल बनाने के उद्देश्य से चल रहे हैं। करोड़ों रुपयों का हेर-फेर हुआ है। पक्षपात तथा भाई-भतीजावाद खुले रूप से पनप रहा है। विजय बैंक में श्री सुन्द्रम चैट्टी खुले तौर पर राष्ट्र विरोधी कार्यवाइयों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की जाती?

सभापति महोदय माननीय सदस्यों को उन व्यक्तियों के नाम का उल्लेख नहीं करना चाहिए, जो सभा में उपस्थित नहीं हैं। माननीय सदस्यों को सभा के नियमों का पालन करना चाहिए।

श्री के० लकप्पा : हम विभिन्न जिलों के आर्थिक कार्यक्रम कार्यान्वित करना चाहते हैं। यह उस समय तक संभव नहीं है जब तक राष्ट्रीयकृत बैंक पिछड़े क्षेत्रों की सहायता के लिये बड़े पैमाने पर सामने नहीं आते। मंत्री महोदय ने कहा है कि जिलों के आर्थिक कार्यक्रमों से संसद् सदस्यों को सम्बद्ध किया जायेगा। यह तब तक संभव नहीं है, जब तक कि उन्हें जिला स्तर पर बैंकों के कार्यकरण से सम्बद्ध नहीं किया जाता। संसद् सदस्यों को जिला स्तर पर बैंकों के कार्यकरण से सम्बद्ध किया जाना चाहिए।

कर्नाटक राज्य में सूखे की स्थिति गंभीर है। मंत्रालय को कर्नाटक के लोगों की बड़े पैमाने पर सहायता करने के लिये सामने आना चाहिए। हमें यह बताया जाये कि लोगों को किस प्रकार की राहत दी जायेगी।

श्री वाई० एस० महाजन (बुलडाना) : सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्रालय की अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं। मांग संख्या 44 परिवार नियोजन से सम्बन्धित है। पिछले 20 वर्षों के दौरान आर्थिक क्षेत्र में हम ने जो सफलतायें प्राप्त की हैं वे जनसंख्या वृद्धि के कारण विफल हो गई हैं। हमारी जनसंख्या एक करोड़ 30 लाख प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। अतः हमारा लक्ष्य जन्म दर को 35 से घटाकर 25 करना है। यह एक बहुत बड़ा प्रयास है। अब जोर-जबरदस्ती का समय आ गया है। जब तक ऐसा न होगा, देश की कोई भी सरकार लोगों के रहन-सहन के स्तर को उठाने में सफल नहीं होगी।

पश्चिम बंगाल के एक माननीय सदस्य ने कहा है कि वहां लोगों की जबरदस्ती नसबंदी की जा रही है। पश्चिम बंगाल ने भारत भर में इस दिशा में बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इस वित्त वर्ष के पहले तीन महीनों में पश्चिम बंगाल में 2,19,356 नसबंदियां हुई हैं जो देश के किसी भी राज्य से अधिक हैं। यह एक गर्व की बात है। लेकिन सरकार की प्रशंसा करने के बजाय कहा जा रहा है कि 80 व्यक्तियों की जबरन नसबन्दी की गई है। फिर भी मैं मांग का समर्थन करता हूं।

Smt. Subhadra Joshi (Chandni Chowk) : I support the Supplementary demands. The Prime Minister and the Health Minister have said that no coercive methods should be used in the matter of family planning. But the entire programme has been left to the Government officers who have been given no guidance as to what conditions have to be observed while implementing sterilization programme. The teachers, doctors and even the police officers have been asked to bring a certain number of cases for sterilization. These people exercise pressure to complete the number.

So far as Delhi is concerned, which is directly under the Central control, some Minister or an officer should be appointed who may be approached for giving guidance or removing grievance. The way the entire thing is being done is defeating the very purpose of this most essential Programme. The funds allotted for this purpose should be spent on the implementation of this programme. It is suspected that there is a conspiracy to sabotage and defeat the policies of Government. Government should check such activities.

Shri Ram Hedaoo (Ramtek) : Mr. Chairman, I rise to support the Supplementary Demands for Grants. It would have been better if more funds were allotted for the development of surplus land that has been distributed among landless people. Irrigation plays a great role in the process of agricultural production. In Bhandara district, water is not being supplied to agriculturists from Ramtek canal when it is very much needed for irrigation. Government officials do not pay any attention to the drawbacks in administration therefore, steps should be taken to see that water is supplied to peasants when they need it most. Then, the prices of fertilizers have gone so high that the use of fertilizers have become prohibitive for the farmers. Attention must be paid to this matter also.

It is very essential to grant subsidy to agriculturists. It can be in the form of power or fertilizers. They should also be granted interest free loans. The family planning programme is quite good, but the deficiencies in this programme should be removed. This programme has very much affected agriculture, because peasants are being forcibly sterilized and as such, they are unable to continue their work. A kind of terror has been created among the people which has brought a bad name to the entire programme. Compulsion or force should not be used for fulfilling the quota of sterilization. Government should pay adequate attention to this aspect.

श्री वयालार रवि (चिरायंकिल) : मैं अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। यह बात सर्वमान्य है कि देश की आर्थिक प्रगति के लिए बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करना अनिवार्य है। लेकिन परिवार नियोजन कार्यक्रम को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। विरोधी-दल के सदस्यों को इस कार्यक्रम के सामाजिक और आर्थिक पहलू को समझना चाहिए और उन ताकतों का मुकाबला करना चाहिए जो इस देश में एक कठिन स्थिति पैदा करना चाहते हैं।

ऐस्सो को नियंत्रण में लेने के बाद देश में पैट्रोलियम उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिये।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस् ने ऐसी तस्वीर पेश की है कि उसे मुनाफा मिल रहा हो जबकि वास्तविक लेखाओं से पता चलता है कि इसे घाटा हो रहा है। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

सरकार को बैंकिंग प्रणाली पर सीधी निगरानी रखनी चाहिए। मजदूर संघ बनाना तथा इसे इंटक से सम्बन्धित करना कोई अपराध नहीं है। लेकिन बैंक के अधिकांश कर्मचारियों का तबादला इस कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जा रहा है कि ये कर्मचारी इन्टक से सम्बद्ध संघों के सदस्य तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विरोधी रहे हैं। बैंक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का समर्थन करते आये हैं और इसे धन देते रहे हैं। एक बैंक ने ऋण देने के लिये एजेन्ट भी नियुक्त किये थे। एक अन्य फर्म है मेहता ब्रदर्स। वे बैंक से एक प्रतिशत ब्याज पर रुपया उधार लेकर अन्य फर्मों को 30 प्रतिशत ब्याज पर ऋण देते हैं। यह बात 20-सूत्रीय कार्यक्रम के विरुद्ध है। विजय बैंक ने 40 लाख जाली नोट परिचालित किये हैं। उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

Shri Chandrika Prasad (Balia) : Mr. Chairman, I support the supplementary demands for grants. More funds should be allocated for family planning so that this programme may be made a success. At present the incentive amount given to a man who undergoes sterilisation operation is very small. It should be increased. There are also instances of coercion by the bureaucracy in many places. This will create terror and the success of the programme will be affected. This should be looked into.

The 20-point programme is not being implemented vigorously and sincerely by the bureaucracy in Uttar Pradesh. The cooperation of the public representatives is not being sought to a desirable extent and inflated figures of success is being given which are far from the facts. These things should be looked into.

Effective steps should be taken to see that inter-State river transport may be expanded and encouraged in the rivers Ganga and Ghagra in the border districts of Bihar and Uttar Pradesh.

Prof. S. L. Saksena (Paharganj) : I have given my cut-motion to discuss the anti-national population policy and large scale forcible sterilization and tubectomies all over the country and stoppage of monthly salaries and other benefits to Government employees, teachers and others for months.

Directives are being issued by the Government to stop salaries of teachers if they do no get themselves sterilized. Mass operations are being done when there is no suitable arrangement for operations and medicines. Instances have come to light when people have died as a result of operation and when even unmarried persons have been sterilized forcibly. Such incidents have led to firing in Muzaffarnagar. All this should be looked into.

Mahatma Gandhi has said that Brahamcharya *i.e.* self-control is the best method of birth control. We must observe it.

Shri Hari Singh (Khurja) : I support these demands. The economy of our country has improved a lot. Black money has been unearthed. Inflaion is also now under control. But if we allow our population to grow unchecked at the present rate it will be difficult for the Government even to provide basic needs to our people. In such circumstances the nature shall have to interfere and natural calamities will be fall on us. Therefore effective steps should be taken to make the family planning programme successful.

Fertilizers are essential inputs for the farmers. Although we have increased our production of fertilizers, there is much scope for the same. It is therefore, necessary to produce more fertilisers in order to make our country self sufficient in food.

The Harijans and landless workers, who have been allotted surplus land, should be provided with inputs including financial assistance necessary for cultivation. I, therefore, support these demands.

Shri Naval Kishore Sinha (Muzaffarpur) : Sir, I rise to support these demands. Family planning programme is vital for our country. I request the critics of this movement that instead of criticising this they should cooperate in making this programme successful.

[Shri Naval Kishore Sinha]

Short term loan provided for the small farmers who have been given land through cooperative societies should be easily available to them on easy terms and more flexible conditions. This will go a long way to help the producer increase his produce.

These short term loans are usually available in the form of fertilizers and cash. Sixty per cent of loan is advanced in the form of fertilizers and forty per cent in terms of cash. But where there is no irrigation facility fertilisers should not be imposed on the producers. Full amount of loan should be advanced in cash to the producer.

I however support these demands.

श्री के० सूर्यनारायण (एलूरू) : मैं केन्द्रीय सरकार की इन नुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं। सामान्य वित्त विभाग से अलग किये जाने के बाद से राजस्व और बैंकिंग विभाग बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। कर एकत्र करने वाले तंत्र का सुचारू रूप से सुधार कर दिया गया है तथा कुछ सीमा तक कर की चोरी रोकने के लिए प्रभावी उपाय किये गये हैं। कर अपवंचकों को यह विभाग पकड़ रहा है। अनेक छापे मार कर करोड़ों रुपये का छुपा धन निकाला गया है। इसके लिए मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं।

अब तक राजस्व विभाग उन्हीं लोगों के नाम प्रकाशित करता रहा है जिन्होंने कर की चोरी करने वाले पकड़े हैं। किन्तु मेरा सुझाव है कि कर अपवंचकों के नाम भी प्रकाशित किये जाने चाहिएं।

अनेक तथाकथित सन्त महात्माओं के बारे में विवाद चल रहा है। इन लोगों के पास इतनी अधिक सम्पत्ति है और करोड़ों रुपयें की जायदादें हैं। ये ऐश्वर्यशाली जीवन बिता रहे हैं। उन्होंने अपनी सम्पत्ति की घोषणा करने से भी इनकार कर दिया है। अभी हाल ही में आय कर अधिकारियों ने अहमदाबाद में एक गुसाईंजी महाराज के यहां से 74 लाख रुपये की सम्पत्ति का पता लगाया है। इनकी जांच की जानी चाहिए।

आंध्र प्रदेश में भी ऐसा ही एक सन्त महात्मा है। वह विदेशी वस्तुएं बनाता है जैसे जापानी या बम्बई में बनी घड़ियों का उत्पादन करता है। सरकार को इस चमत्कारी व्यक्ति के बारे में जांच पड़ताल करनी चाहिए।

इन महात्माओं के पास छिपा काला धन निकालना चाहिए। ये बाबा अपने एजेंट नियुक्त कर वैज्ञानिकों, पूंजीपतियों आदि लोगों को भरमा कर उन्हें धोखा देते हैं। यहां तक ये सामान्य जनता को भी धोखा देते हैं। ऐसे सभी व्यक्तियों के बारे में जांच पड़ताल की जानी चाहिए।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : इन अनुपूरक मांगों में 48 करोड़ रुपये की राशि परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए निर्धारित है। लेकिन मैं परिवार नियोजन का विरोध तो नहीं करता पर इसके लिए जो तरीका अपनाया गया है मैं उसका विरोधी हूं। इससे हमारे देश में विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई है और प्रतिक्रियावादी शक्तियां अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए इसका लाभ उठा सकती हैं। 35 प्रतिशत से अधिक महिलाओं की नसबन्दी कर दी गई है जो विश्व भर में सबसे अधिक संख्या है। फिर भी देश गरीब और पिछड़ा रह गया है।

आपात स्थिति के एक वर्ष बाद आज 20 सूत्री कार्यक्रम पर 5 सूत्री कार्यक्रम छा गया है। अब तो केवल एक सूत्री कार्यक्रम अर्थात् नसबन्दी का कार्यक्रम ही रह गया है। इससे सरकार को कुछ सफलता नहीं मिलेगी। यदि आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और जनता का विश्वास प्राप्त करना

चाहते हैं तो आपको गरीबी हटानी पड़ेगी और 20 सूत्री कार्यक्रम को पूरी निष्ठा के साथ कार्यान्वित करना पड़ेगा।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि केरल के निकट पश्चिमी समुद्र तट पर तेल मिलने की बहुत भारी सम्भावना है और इस पर विचार करना चाहिए तथा प्राथमिकता देनी चाहिए।

श्री पी० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को बहुत महत्व दिया गया है और यह सफल रहा है। लेकिन मुझे यह शंका है कि कहीं यह राजनीतिक रूप से प्रेरित है। इसे लागू किये बगैर देश प्रगति नहीं कर सकता। इसे जबरन लागू किये जाने की बात मैंने नहीं देखी है। हमें इस कार्यक्रम को राजनीतिक पुट नहीं देनी चाहिए। इसे राष्ट्रीय हित में लागू करना चाहिए।

राज्य सरकारों द्वारा साहूकारों पर ऋण देने की पाबन्दी लगा दी गई है। इससे छोटे किसानों को पूर्णतया वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी समितियों पर ही निर्भर करना पड़ता है। यदि इन्हें अधिक ऋण देने की व्यवस्था नहीं की गई और सहकारी समितियों को अधिक धनराशि नहीं दी गई तो गांवों में बड़ी भयंकर स्थिति पैदा हो जायेगी। निर्धन और छोटे किसानों को ऋण नहीं मिल रहा है। उन्हें साहूकार भी ऋण नहीं दे रहे हैं। सरकार को ग्रामीण ऋण क्षेत्र का सुधार करना चाहिए और आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिएं। अल्पावधि और दीर्घावधि ऋणों को मिलाने का प्रस्ताव है। इससे किसानों और पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों को कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक की समितियों की कुछ सिफारिशें स्वीकार नहीं की जानी चाहिए।

Shri Nathu Ram Ahirwar : (Tikamgarh) : Sir, while supporting these demands I want to draw the attention of the hon. Minister to this fact that the Harijans and tribals who have been allotted land under the 20-Point Economic Programme, are not getting loans from the banks to purchase bullocks and seeds etc., so that they may cultivate the land. Therefore, specific instructions should be issued to the banks to provide loan to these poor and landless harijans and tribals. Only then the objective of 20-Point Programme can be achieved.

So far as family planning programme is concerned, some instances have come to light that there have been some excesses in Uttar Pradesh. This should be looked into. I hope, the official machinery working efficiently can make this programme successful.

I, therefore, support these demands.

Dr. Kailas (Bombay South) : The target of family planning programme should be fixed and achieved. But it is not desirable to withhold payment of salary or promotion of an employee, if a particular target is not achieved or fulfilled.

There are certain undesirable persons who are taking money in the name of implementing family planning programme and acting in such a manner which brings discredit to this programme. In this way the funds allocated for this purpose are also being wasted. This should be looked into.

We have to increase the production of fertilizers. The production target fixed must be achieved within a specified period.

Shri Sukhdeo Prasad Verma (Nawada) : Sir, I support these supplementary demands. Most of the complaints which have been lodged against the family planning programme are politically motivated. Complaints of excess and coercion are generally incorrect. We must admit that population control is very important and vital for our country. If we are unable to control our fast growing population all our achievements in other fields will be nullified. Therefore this programme should be followed with vigour and success.

श्री बी० वी० नायक (कनारा) जहां तक परिवार नियोजन कार्यक्रम का सम्बन्ध है, हमें इस पर ग्राम्य स्तर पर गम्भीरता से विचार करना है। मेरे राज्य में तो यह कार्यक्रम बड़ी सफलता से चल रहा है। फिर भी अपनी इच्छा को जबरदस्ती लादना ठीक नहीं है। हमें इस बात का प्रचार करना चाहिए जिसे हम स्वयं करते हैं और अपनाते हैं। केवल नसबन्दी ही इसका उपाय नहीं है। मंत्रीगण हमारे देश के नेता हैं और हमारी जन विचारधारा तथा समाज के अग्रणी हैं।

[श्री भागवत झा आजाद पीठासीन हुए
Shri Bhagwat Jha Azad in the Chair]

हमारे मंत्री हमारे देश तथा जन विचारधारा के नेता हैं अतः हमारे केन्द्रीय तथा राज्य मंत्रियों को आप्रेशन के लिए आगे आना चाहिए तथा इतना ही नहीं उन्हें यह घोषणा भी करनी चाहिए कि वह परिवार नियोजन का क्या तरीका अपना रहे हैं। लोगों के समक्ष हमें ऐसा उदाहरण रखना चाहिए जिसमें हमारा अपना विश्वास हो।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद): मैं केवल मांग संख्या 48 और 72 के बारे में ही कहना चाहता हूं। परिवार नियोजन के पक्ष में जो भी तर्क प्रस्तुत किये गये हैं मैंने उन्हें ध्यानपूर्वक सुना है तथा मैं स्वयं भी यह नहीं चाहता कि परिवार नियोजन को न अपनाया जाये। जनसंख्या वृद्धि हमारी एक भीष्म समस्या है तथा हमें इसका डट कर मुकाबला करना होगा। अच्छा यह होगा यदि हम इसे समझा-बुझा कर करें। यह खेद की बात है कि हम अपने देश की संस्कृति तथा परम्परा के विरुद्ध बल प्रयोग कर रहे है। हमारे लिये अच्छा यही होगा कि हम किसानों, भूमिहीनों तथा साधारण लोगों को इस कार्यक्रम का महत्व समझायें।

परीक्षणों से यह पता चला है कि बम्बई हाई का सारा क्षेत्र तेल और गैस से भरा हुआ है अब हमारे लिए यह अनिवार्य है कि हम इस कार्य के लिए एक सुगठित योजना तैयार करे ताकि इन संसाधनों का उपयुक्त लाभ उठाया जा सके। इसी सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव यह भी है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में निचले स्तर की नौकरियों के लिए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

Shri Chandra Bhal Mani Tiwari (Balrampur): I, while supporting the demands want to submit that there is no dearth of money in our country. The fact of the situation is that adequate facilities for depositing the money into banks are not available. This at times forces people to keep their savings in their homes. So my submission in this regard is that more banks and post-offices should be opened for the purpose. That way the national wealth will be put into more productive use.

The Deputy Minister in the ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohtagi): I have heard with attention the valuable speeches made by many of our colleagues. It is a well acknowledged fact that our population is growing at very fast rate. Now the time has come when we will have to Check this rate of population growth and if we fail to do it, the whole economy of our country will shatter. All our development plans will go to dogs. If India has to progress and its development plans are to materialise we will have to lay special stress on family planning.

It is a matter of satisfaction that our plans for national policy on population are proving success. Many people are working quite honestly for achievement of this ultimate goal but it is a matter of concern that some of us try to drag politics or religion in this matter. We will have to take strong measures to stop such baseless propaganda.

During the course of debate reference was made to the use of force. It has been made clear time and again in this house by the Prime Minister as well as the Health Minister that people will not be forced or compelled for the family planning operations. In this connection I may submit that as and when such cases were brought to our notice a prompt action was taken in the matter and we reffered them to state Governments for immediate investigation. Strict guidelines have also been issued to State Governments in this regard.

A reference was also made that some employees of Burn & Co. have crossed the age of sixty but still they are in employment. I may refute it and submit that they are below the age of 58 years.

It is a matter of stisfaction that the prices of fertilizers has gone down in the country. I may also mention in this connection that many states have increased their demands for fertilizer as more and more areas are being brought under irrigation.

The House may sit on day after tomorrow or not but I want to make a very humble request to hon. Members that they should try to educate the people in their constituencies for family planning. They should try to make the people understand that this programme in necessary for the eradication of poverty and economic development of the country.

Shri Shashi Bhushan (Delhi-south) : It has been pointed out by several members that the workers of R.S.S a banned organisation are being recuritcd in Vajaya Bank. May I know if it will be looked into by the Minister ?

Shrimati Sushila Rohatagi : This information will be conveyed to the Concerned Department.

Chairman : I put cut motion No. 1 for the voting of the House.

Cut Motion No. 1 was put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा, कटौती प्रस्ताव संख्या 1 सदन के मत के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

Chairman : Now I put Cut Motion Nos. 2,3,4,5, and 6 for the vote of the House.

Cut Motions No. 2, 3, 4, 5, and 6 were put and negatived.

सभापति द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 2, 3, 4, 5 और 6 सदन के मत के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुये ।

सभापति महोदय द्वारा 1976-77 के लिए निम्नलिखित अनुदानों की अनुपूरक मांगे मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुईं ।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व	पूंजी
		रु०	रु०
	कृषि और सिंचाई मंत्रालय		
2.	कृषि—		
	राजस्व और बैंकिंग विभाग	3,75,00,000	—
41.	राजस्व और बैंकिंग विभाग—		
	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय	6,00,000	—
48.	परिवार नियोजन—		
	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	48,00,00,000	—
61.	उद्योग—		
	पेट्रोलियम मंत्रालय	—	5,00,000
72.	पेट्रोलियम और पेट्रो-रसायन उद्योग—		
	इस्पात और खान मंत्रालय	—	55,15,51,000
83.	इस्पात विभाग—		
	निर्माण और आवास मंत्रालय	—	1,000
93.	निर्माण और आवास मंत्रालय	43,12,000	—
94.	लोक निर्माण	27,25,000	—
96.	आवास और शहर विकास	2,11,000	—

विनियोग (संख्या 7) विधेयक, 1976
APPROPRIATION (No. 7) BILL, 1976

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं प्रस्ताव करती हुं :

"कि वित्तीय वर्ष 1976–77 की सेवाओ के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियो के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

Mr. Chairman : The question is.

"कि वित्तीय वर्ष 1976–77 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हुं ।

मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि वित्तिय वर्ष 1976–77 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियो के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधयक पर विचार किया जाये ।"

Mr. Chariman : The question is :

"कि वित्तीय वर्ष 1976–77 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियो के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

Mr. Chairman : Now I will put the clauses for the vote of the House. The question is :
That clauses 2 and 3, Schedule, clause 1, Enacting Formula and Title stand part of the Bill."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 2 and 3, the Schedule, clause 1, Enacting Formula and Title were added to the Bill.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं प्रस्ताव करती हूं कि विधेयक पारित किया जाए ।"

Mr. Chairman : The question is :
"That the Bill be passed"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

अनुदानों की अनुपूरक माँगें (गुजरात) 1976–77
SUPPLEMENTRY DEMANDS FOR GRANTS (GUJARAT) 1976-77

सभापति महोदय : अब हम वर्ष 1976-77 के लिए गुजरात राज्य के बजट सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा करेंगे ।

वर्ष 1976–77 की निम्न अनुदानों की अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
3	निर्वाचन	21,00,000	..
9	कर संग्रह प्रभार (वित्त विभाग) . .	18,91,000	..
12	वित्त विभाग से संबंधित अन्य व्यय . .	6,15,000	..
16	कानून विभाग का अन्य व्यय . .	1,04,000	..
26	कृषि	1,000	1,00,00,000
28	पशु पालन और डेरी विकास . .	3,09,000	..
30	वन	..	26,09,000
35	शिक्षा	..	12,00,000
39	जन जाति क्षेत्र उप-आयोजना . .	1,000	..
49	उद्योग	..	6,39,48,000
55	चिकित्सा	2,000	..
57	लोक स्वास्थ्य	6,00,000	..
58	शहरी विकास	1,02,000	60,00,000
60	पंचायत और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अन्य व्यय	2,00,00,000	..
63	गैर रिहायशी इमारतें . . .	5,06,000	..
65	सिंचाई और भूमि संरक्षण. . .	..	10,51,000
73	जिला प्रशासन . . .	43,73,000	..
74	दैवी विपत्तियों के कारण सहायता . .	..	4,00,00,000
76	मुआवजा और समनुदिष्ट राशियां . .	..	19,03,000

***श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (श्रौसग्राम)**: मैं वित्त मंत्री महोदय द्वारा गुजरात राज्य के लिए प्रस्तुत की गई अनुदानों की मांगों का विरोध करता हूं। मार्च 1976 के दौरान दल-बदल करवा कर के केन्द्र में सत्तारुढ़ कांग्रेस ने गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। अब काफी समय गुजर जाने के बाद भी अभी तक लोकतांत्रिक परम्परा को स्थिर बनाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है। 177 निर्वाचित विधायकों में से कांग्रेस का दावा है कि उसे 106 का समर्थन प्राप्त है परन्तु यह विचित्र बात है कि अभी तक कांग्रेस दल वहां अपनी सरकार नहीं बना पाया है इसका कारण यही है कि गुजरात कांग्रेस का आपस में मतभेद है। यह बड़ी ही विचित्र बात है कि कांग्रेस दल द्वारा एक ओर तो लोकतंत्र का राग अलापा जा रहा है जबकि दूसरी ओर वह स्वयं ही गुजरात में लोकतंत्र का गला घोट रही है। हमारे दल व संविधान संशोधन विधेयक चर्चा में कोई भाग नहीं लिया। आज कांग्रेस द्वारा जो प्रचार किया जा रहा है, वास्तव में उसके कृत्य उसके पूर्णतया विपरीत हैं। विपक्षी दलों के नेताओं को तो जेल भेज दिया गया है और उनके विरुद्ध विषैला प्रचार किया जा रहा है और बोलने का सारा कार्य प्रधान मंत्री और उनका बेटा कर रहे हैं।

गुजरात के लिए लोक सभा में अनुपूरक मांगें इस सभा में पेश करने का कोई औचित्य नहीं। यदि केन्द्रीय सरकार यह महसूस करती है कि कोई दूसरा उपाय नहीं तो सरकार को गुजरात के राज्यपाल की रिपोर्ट की एक प्रति परिचालित करनी चाहिये थी जिसमें यह बताया जाता कि गुजरात में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना क्यो नहीं हो सकती और लोक सभा को राज्य की विधान सभा की ओर से कार्य करना आवश्यक है।

गुजरात में तूफान तथा बाढ़ से बेघरबार हुए लोगों की कठिनाइयां दूर करने के लिए अधिक काम नहीं किया गया है। वहां केन्द्र द्वारा समुचित ध्यान दिया जाना चाहिये और इस उद्देश्य के लिए अधिक धन की व्यवस्था की जानी चाहिये।

गुजरात में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को एक सरकारी परिपत्र के माध्यम से कहा गया है कि कम से कम तीन नसबंदी के मामले लायें अन्यथा उनकी वार्षिक वेतन-वृद्धि रोक दी जायेगी। यद्यपि देश में परिवार नियोजन किये जाने की आवश्यकता का हम विरोध नहीं करते तथापि इसमें जो बल प्रयोग किया जा रहा है या धमकियां दी जा रही हैं, हम उसका विरोध करते हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति लोगो को शांतिपूर्ण ढंग से समझा कर की जा सकती है।

अब वहां आठवीं कक्षा से अंग्रेजी आरम्भ कर दी गई है। लोग चाहते हैं कि आंठवी कक्षा के बाद शिक्षा देने का माध्यम गुजराती या हिन्दी हो। किन्तु अंग्रेजी शुरू करने से लोगों में यह आशंका उत्पन्न हो गई है कि अंग्रेजी को ही शिक्षा को माध्यम बना दिया जायेगा। नौकरशाही को जनता की इच्छाओं के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है, विशेषकर शिक्षा-माध्यम जैसे नाजुक मामले में तो नौकरशाही को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिये।

श्री पी० जी० मावलंकर: मेरे मित्र ने समझने में थोड़ी सी गलती की है। अंग्रेजी को आवश्यक विषय बनाया जा रहा है न कि शिक्षा का माध्यम।

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summ rised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

पिछले कई वर्षों से अंग्रेजी आठवीं कक्षा से पढ़ायी जा रही है। पर वर्तमान प्रशासन के अधीन गुजरात सरकार ने यह नीति निर्धारित की है कि जून, 1977 से अंग्रेजी छठी कक्षा से पढ़ाई जायेगी।

गुजरात में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं। पर समाचार-पत्रों में उस के बारे में कुछ प्रकाशित नहीं हो सकता। राष्ट्रपति शासन के दौरान भी अनेक घटनाएं हो रही हैं और उसके लिए केन्द्र सरकार ही उत्तरदायी है।

कर्मकारों, अनुसूचित जातियों के लोगों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों को राष्ट्रपति शासन के दौरान कोई लाभ नहीं पहुंचा है। श्रम मंत्री श्री रेड्डी ने स्वीकार किया है कि आपातस्थिति के दौरान तालाबंदी और श्रमिकों को निकालने की घटनाएं बढ़ी हैं। इसलिए मैं अनुपूरक मांगों का समर्थन नहीं कर सकता।

Shri Ishaque Sambli (Amroha) : Sir, I want to say something about Demand No. 19. It is a matter of shame that even now the rich and the capilists are playing a dominant role in the administration and they weild considerable authority. They are trying to create artificial shortage.

Sir, large number of defections are taking place. Although it is good that defectors have not been allowed to form the Ministry but many defections are a matter of concern.

Many innocent people and workers of political parties have been arrested under M.I.S.A The Government should ensure their immediate release.

Incidents of lay-out and lockouts are on the increase. The labourers are roaming about in search of employment. Government should take over these closed factories. The capitalists are trying to escape from Urban Land Ceiling Bill. The Government should take note of this situation.

The rise in prices particularly the oil prices are worrying the common man. I hope the hon. Minister will look into the matter.

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : अनुदानों की मांगों का समर्थन करते समय मैं प्रधान मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने यह स्वीकार किया कि जब तक गुजरात में स्थायी सरकार की स्थापना न हो तब तक वहां अव्यवस्थित सरकार न बनाई जाये। पिछले कुछ वर्षों से गुजरात में एकता और अनुशासन आया है पर वहां कुछ कमियां नजर आने लगी हैं।

सभापति महोदय सरकार यह भरसक प्रयत्न कर रही है कि निर्दोष व्यक्तियों को किसी कानून के अन्तर्गत जेल में बंद न किया जाये। हो सकता है कि मामले की जांच-पड़ताल में बिलम्ब हुआ हो और उसके कारण कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं।

हमारी सबसे गम्भीर समस्या तूफान, सूखा तथा बाढ़ की रही है जिससे हमारे वित्त पर बुरा प्रभाव पड़ा है। हमारे राज्य के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना का मूल आकार कम कर दिया गया है। अब तो वह चौथी योजना से भी कम रह गई है। केन्द्रीय सरकार को स्थिति का पता है। सरकार को एक मूल्य स्थिरीकरण बोर्ड की स्थापना करनी चाहिये। यह बहुत ही आवश्यक है क्योंकि रूई तथा मूंगफली —ये दो नाजुक वस्तुएं समय-समय पर अर्थ-व्यवस्था में हल-चल पैदा कर देती हैं।

इससे वित्तीय तथा विदेशी मुद्रा सम्बन्धी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। गुजरात में काफी संसाधन हैं, वहां रूई, मूंगफली तम्बाकू और कई प्रकार के मसाले पैदा होते हैं, जिनका अधिकतर निर्यात होता है।

यह ध्यान रखा जाना चाहिये कि किसानों को उनकी उपज का उचित मुल्य मिले ताकि उनमें असंतोष पैदा न हो।

सभापति महोदय: सदस्य महोदय, कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 4 नवम्बर, 1976/13 कार्तिक, 1898 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha adjourned till Eleven of the clock on Thursday, November 4, 1976 Kartika 13, 1898 (Saka)

म० प्र० मा० म० मु० रो० त० दि० एल० एस० III 2170 एल० एस०--14-12-76--200